

U.P Consolidation of Holdings Act, 1953

(U.P. Act No. 5 of 1954)

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement. - (1) This Act may be called the "U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953".

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

1[(3) This section shall come into force 2[at once and the remainder of the Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf and different dates may be appointed for different parts of Uttar Pradesh.]

2. Repeal of U.P. Act VII of 1939. - The "U.P. Consolidation of Holdings Act, 1939", is hereby repealed.

3. Definitions. - In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context - 3[(1) "Assistant Consolidation Officer" means a person appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform the duties of an Assistant Consolidation Officer under this Act or the Rules made thereunder 4[and shall include an Assistant Rectangulation Officer];

5[(1-A) "chak" means the parcel of land allotted to a tenure-holder on consolidation];

6[(2) "Consolidation" means re-arrangement of holdings in a unit amongst several tenure-holders in such a way as to make their respective holdings more compact];

Explanation. - For the purpose of this clause, holding, shall not include the following :

(i) Land which was grove in agricultural year immediately preceding the year in which the notification under Section 4 was issued;

(ii) land subject to fluvial action and intensive soil erosion;

(iii) land mentioned in Section 132 of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U.P Act no. 1 of 1951);

(iv) such compact areas as are normally subject to prolonged water-logging;

(v) usar, kallar and rihala plots forming a compact area including cultivated land within such area;

(vi) land in use for growing pan, rose, bela, jasmine and kewra; and

(vii) such other areas as the Director of Consolidation may declare to be unsuitable for the purpose of Consolidation;

7[(2-A) 'Consolidation area' means the area, in respect of which notification under Section 4 has been issued, except such portions thereof to which the provisions of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951) 8[or any other Law by which Zamindari System has been abolished], do not apply;

9[(2-AA) "Consolidation Committee" means a committee to be constituted in the manner prescribed for the purposes of the Act];

10[(2-B) "Consolidation Lekhpal" means a person appointed as such by the State Government to perform the duties of Consolidation Lekhpal under this Act or the Rules made thereunder and shall, in areas as under Consolidation operations, include a Lekhpal appointed under the U.P. Land Revenue Act, 1901(U.P Act No. 3 of 1901)];

11[(3) "Consolidation Officer" means a person appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform the duties of Consolidation Officer under this Act or the Rules made thereunder 12[and shall include a Rectangulation Officer];

13[(3-A) "Consolidator" means a person appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform the duties of a Consolidator under the Act or the Rules made thereunder 14[and shall include a Rectangulator and also, in areas under Consolidation operations, the Supervisor Kanungo appointed under the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901(U.P. Act No. 3 of 1901), for that area];

15[(3-B) "Consolidation Scheme" means the scheme of consolidation in a unit];

16[(4) "Director of Consolidation" means the person appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform the duties of the Director of Consolidation under this Act or the rules made thereunder and shall include an Additional Director of Consolidation and Joint Director of Consolidation];

17[(4-A) "Deputy Director, Consolidation" means a person appointed as such by the State Government to exercise such powers and perform such duties of the Director of Consolidation as may be delegated to him by the State Government and shall include a District Deputy Director of Consolidation and Assistant Director of Consolidation];

18[(4-B) "District Deputy Director of Consolidation" means the person who is for the time being the Collector of the district];

19[(4-C) "Holding" means a parcel or parcels of land held under one tenure by a tenure-holder singly or jointly with other tenure-holders];

20[(5) "Land" means land held or occupied for purposes connected with agriculture, horticulture and animal husbandry (including pisciculture and poultry farming) and includes -

(i) the site, being part of a holding, of a house or other similar structure; and

(ii) trees, wells and other improvements existing on the plots forming the holdings];

(6) "Legal Representative" has the meaning assigned to it in the Code of Civil Procedure, 1908(Act No. 5 of 1908);

(7) "Prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

21[(8) "Publication in the unit" or "publish in the unit" with reference to any document means reading out of the document in the unit on a date of which prior notice shall be given by beat of drum and proclamation by beat of drum, or in any other customary mode, in the unit of the fact that the document is open to public inspection at an appointed place and time];

Provided that where a Consolidation Committee has been constituted for the unit, each member of the said committee shall also be individually informed of the fact of publication;

22[(8-A) "Rectangulation" means the process of dividing the area of a unit into rectangles and parts of rectangles of convenient size with a view to regulating the allotment of chaks during consolidation];

23[(9) "Settlement Officer, Consolidation" means the person appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform the duties of a Settlement Officer, Consolidation, under this Act or the rules made thereunder and shall include an Additional Settlement Officer, Consolidation and Assistant Settlement Officer, Consolidation];

(10) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

24[(11) "Tenure-holder" means a 25[bhumidhar with transferable rights or bhumidhar with non-transferable rights] and includes -

(a) an asami,

(b) a Government lessee or Government grantee, or

(c) a co-operative farming society satisfying such conditions as may be prescribed];

26[(11-A) "Unit" means a village or part thereof, and where the Director of Consolidation so notified by publication in the Official Gazette, two or more villages or part thereof, for which a single scheme of consolidation is to be framed];

(12) Words and expressions -

(a) not defined in this Act but 27[used or] defined in the U.P. Land Revenue Act, 1901(U.P. Act No. 3 of 1901), or

(b) not defined in this Act or in the U.P. Land Revenue Act, 1901(U.P. Act No. 3 of 1901), but 28[used or] defined in the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U.P. Act No. 1 of 1951),

shall have the meaning assigned to them in the Act in which they are so 29[used or] defined; and

30[(13) The references to the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951) and the U.P. Land Revenue Act, 1901(U.P. Act No.3 of 1901), shall be construed as references to the said Acts as amended from time to time].

CHAPTER II

Revision And Correction Of Maps And Records

31[4. Declaration and notification regarding consolidation. - (1)(a) The State Government may, where it is of opinion that a district or part thereof may be brought under consolidation operations, made a declaration to that effect in the Gazette, whereupon it shall become lawful for any officer or authority who may be empowered in this behalf by the District Deputy Director of Consolidation -

(i) to enter upon any survey, in connection with rectangulation or otherwise and to take levels of any land in such area;

(ii) to fix pillars in connection with rectangulation; and

(iii) to do all acts necessary to ascertain the suitability of the area for consolidation operations.

(b) The District Deputy Director of Consolidation shall cause public notice of the declaration issued under clause (a) to be given at convenient places in the said district or part thereof.

(2)(a) When the State Government decides to start consolidation operations, either in an area covered by a declaration issued under sub-section (1) or in any other area, it may issue a notification to this effect.

32[(b) Every such notification shall be published in the Gazette and in a daily newspaper having circulation in the said area and shall also be published in each unit in the said area in such manner as may be considered appropriate.]

33[4-A. (1) Where the State Government is of opinion that in the case of a district or part thereof in respect of which a notification has already been issued under Section 52, it is expedient in public interest so to do, it may make a declaration by notification in the Gazette that such district or part thereof may again be brought under consolidation operation]:

34[Provided that no such declaration shall be issued within twenty years from the date of the notification referred to in the said section, but in special circumstances the State Government may, in public interest, issue such declaration after ten years from the said date].

(2) The provisions of this Act shall mutatis mutandis apply to every notification issued under sub-section (1) as they apply to a notification under Section 4].

35[5. Effect of notification under Section 4(2)]. - (1) Upon the publication of the notification 36[under sub-section (2) of Section 4] in the Official Gazette, the consequences, as hereinafter set forth, shall subject to the provisions of this Act, from the date specified thereunder till the publication of notification under Section 52 or sub-section (1) of Section 6, as the case may be, ensure in the area to which the 37[notification under Sub- Section(2) of Section 4] relates, namely -

(a) the district or part thereof, as the case may be, shall be deemed to be under consolidation operations and duty of maintaining the record of rights and preparing the village map, the field-book and the annual register of each village shall be performed by the District Deputy Director of Consolidation, who shall maintain or prepare them, as the case may be, in the manner prescribed;

(b) [Deleted by U.P. Act No. 21 of 1966(w.e.f. 29-8-1966)]

(c) notwithstanding anything contained in the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951), no tenure-holder, except with the permission in writing of the Settlement Officer, Consolidation, previously obtained shall -

(i) use his holdings or any part thereof for purposes not connected with agriculture, horticulture or animal husbandry including pisciculture and poultry farming; or

(ii) [Deleted by section 5 of U.P. Act No. 30 of 1991(w.e.f. 19-2-1991)].

Provided that a tenure-holder may continue to use his holding, or any part thereof, for any purpose for which it was in use prior to the date specified in the notification issued 38[under sub-section (2) of Section 4].

39[(2) Upon the said publication of the notification under sub-section (2) of Section 4, the following further consequences shall ensue in the area to which the notification relates, namely -

(a) every proceeding for the correction of records and every suit and proceeding in respect of declaration of rights or interest in any land lying in the area, or for declaration or adjudication of any other right in regard to which proceedings can or ought to be taken under this Act, pending before any Court or authority whether of the first instance or of appeal, reference or revision, shall, on an order being passed in that behalf by the Court or authority before whom such suit or proceeding is pending stand abated :

Provided that no such order shall be passed without giving to the parties notice by post or in any other manner and after giving them an opportunity of being heard :

Provided further that on the issue of a notification under sub-section (1) of Section 6 in respect of the said area or part thereof, every such order in relation to the land lying in such area or part, as the case may be, shall stand vacated;

(b) such abatement shall be without prejudice to the rights of the persons affected to agitate the right or interest in dispute in the said suits or proceedings before the appropriate consolidation authorities under and in accordance with the provisions of this Act and the Rules made thereunder].

40[Explanation. - For the purposes of sub-section (2), a proceeding under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960(U.P. Act No. 1 of 1961) or an uncontested proceeding under Sections 134 to 137 of the U.P. Zamindari Abolition and

Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951), shall not be deemed to be a proceeding in respect of declaration of the right or interest, in any land].

6. Cancellation of 41[notification] under Section 4. - (1) It shall be lawful for the State Government at any time to cancel the 42[notification] made under Section 4 in respect of the whole or any part of the area specified therein.

43[(2) Where a 44[notification] has been cancelled in respect of any unit under sub-section (1), such area shall, subject to the final order relating to the correction of land records, if any, passed on or before the date of such cancellation, cease to be under consolidation operations with effect from the date of the cancellation].

45[6-A. Special provision with respect to undisputed succession or transfer. - (1) After the publication of notification under sub-section (2) of Section 4 or Section 4-A and before the start of the proceeding under Section 8, a case of undisputed succession shall be disposed of by the Consolidator, and a case of undisputed mutation on the basis of transfer shall be disposed of by the Assistant Consolidation Officer, in such manner and after making such inquiry as may be prescribed :

Provided that no case shall be entertained, continued or disposed of under this section after start of the proceeding under Section 8.

(2) An order made under sub-section (1) shall not be a bar to an objection under Section 9].

46[7. Revision of village map. - With a view to facilitate the revision of records of each village or part thereof in the unit and subject to the provisions hereinafter contained, the District Deputy Director of Consolidation shall, before 47[the provisional Consolidation Scheme] for a unit is prepared, cause to be revised the village maps of such unit].

OLD LAW 6

48[8. Revision of the field-book and the current annual register-Determination of valuations and shares in joint holdings. - (1) Upon the revision of the maps under

Section 7, the District Deputy Director of Consolidation shall, subject to the provisions hereinafter contained, and in such manner as may be prescribed, cause to be -

(i) revised, the field-book of the unit after field-to-field partial, and the current annual register after its test and verification;

(ii) determined, in consultation with the Consolidation Committee, the valuation of -

(a) each plot after taking into consideration its productivity, location and availability of irrigation facilities, if any; and

(b) all trees, wells and other improvements existing in the plots for the purpose of calculating compensation therefor;

(iii) ascertained the share of each owner, if there be more owners than one, out of the valuation determined under sub-clause (b) of clause (ii); and

(iv) determined the shares of individual tenure-holder in joint holdings for the purpose of effecting partition to ensure proper consolidation.

(2) The District Deputy Director of Consolidation shall cause to be prepared a khasra chakbandi, in the form prescribed in respect of all the plots falling in the units as also a statement showing the mistakes 49[undisputed cases of succession] and disputes discovered during the test and verification of the annual register and in the course of the field to field partial].

50[8-A. Preparation of Statement of Principles. - (1) The Assistant Consolidation Officer shall, in consultation with the Consolidation Committee, prepare, in respect of each unit under consolidation operations, a statement in the prescribed form (hereinafter called the Statement of Principles) setting forth the principles to be followed in carrying out the consolidation operations in the unit.

(2) The Statement of Principles shall also contain -

(a) details of areas, as far as they can be determined at this stage, to be earmarked for extension of abadi including area for abadi site for Harijans and landless persons in the unit, and for such other public purposes as may be prescribed;

(b) the basis on which the tenure-holders will contribute land for extension of abadi and for other public purposes; and

(c) details of land to be earmarked for public purposes out of land vested in a Gaon Sabha or a Local Authority under Section 117 or Section 117-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951)].

51[(d) the standard plots for each unit.]

52[(3) The standard plots referred to in clause (d) of sub-section (2) shall be determined by the Assistant Consolidation Officer after ascertaining from the members of the Consolidation Committee and the tenure-holders of the units, the best plot or plots of the unit, regard being had to productivity, location and the existing soil class of the plot or plots].

53[9. Issue of extracts from records and statements and publication of records mentioned in Sections 8 and 8-A and the issue of notices for inviting objections. - (1) Upon the preparation of the records and the statements mentioned in Sections 8 and 8-A, the Assistant Consolidation Officer shall -

(a) correct the clerical mistakes, if any, and send, or cause to be sent, to the tenure-holders concerned and other persons interested, notices containing relevant extracts from the current annual register and such other records as may be prescribed showing -

(i) their rights in the liabilities in relation to the land;

(ii) mistakes 54[undisputed cases of succession]and disputes discovered under Section 8 in respect thereof;

(iii) specific shares of individual tenure-holders in joint holdings for the purpose of effecting partitions, where necessary, to ensure proper consolidation;

(iv) valuation of the plots; and

(v) valuation of trees, wells and other improvements for calculating compensation therefor and its apportionment amongst owners, if there be more owners than one;

(b) publish in the unit the current khasra and the current annual register, the khasra chakbandi, the Statement of Principles prepared under Section 8-A, and any other records that may be prescribed to show, inter alia, the particulars referred to in clause (a).

(2) Any person to whom a notice under sub-section (1) has been sent, or any other person interested may, within 21 days of the receipt of notice, or of the publication under sub-section (1), as the case may be, file before the Assistant Consolidation Officer, objections in respect thereof disputing the correctness or nature of the entries in the records or in the extracts furnished therefrom, or in the Statement of Principles, or the need for partition].

55[9-A. Disposal of Cases relating to claims to land and partition of joint holdings. - (1)

The Assistant Consolidation Officer shall -

(i) where objections in respect of claims to land or partition of joint holdings are filed, after hearing the parties concerned; and

(ii) where no objections are filed after making such enquiry as he may deem necessary; settle the disputes, correct the mistakes and effect partition as far as may be by conciliation between the parties appearing before him and pass orders on the basis of such conciliation :

56[Provided that where the Assistant Consolidation Officer, after making such enquiry as he may deem necessary, is satisfied that a case of succession is undisputed, he shall dispose of the case on the basis of such enquiry].

(2) All cases which are not disposed of by the Assistant Consolidation Officer under sub-section (1), all cases relating to valuation of plots and all cases relating to valuation of trees, wells or other improvements, for calculating compensation therefor, and its apportionment amongst co-owners, if there be more owners than one, shall be forwarded by the Assistant Consolidation Officer to the Consolidation Officer, who shall dispose of the same in the manner prescribed.

(3) The Assistant Consolidation Officer, while acting under sub-section (1) and the Consolidation Officer, while acting under sub-section (2), shall be deemed to be a Court of competent jurisdiction, anything to the contrary contained in any other law for the time being in force notwithstanding].

57[9-B. Disposal of objections on the Statement of principles. - (1) Where objection have been filed against the Statement of Principles under Section 9, the Assistant Consolidation Officer shall, after affording opportunity of being heard to the parties concerned and after taking into consideration the views of the Consolidation Committee, submit his report to the Consolidation Officer, who shall dispose of the objections in the manner prescribed.

(2) Where no objections have been filed against the Statement of Principles within the time provided therefor under Section 9, the Consolidation Officer shall, with a view to examining its correctness, make local inspection of the unit, after giving due notice to the Consolidation Committee, and may thereafter make such modifications or alterations in the Statement of principles as he may consider necessary.

(3) Any person aggrieved by an order of the Consolidation Officer under sub-section (1), or sub-section (2), may, within 21 days of the date of the order, file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, whose decision, except as otherwise provided by or under this Act, shall be final.

(4) The Consolidation Officer and the Settlement Officer, Consolidation, shall, before deciding an objection or an appeal, make local inspection of the unit after giving due notice to the parties concerned and the Consolidation Committee].

58[9-C. Partition of the joint holdings. - (1) The Assistant Consolidation Officer, or the Consolidation Officer, may partition joint holdings under Section 9-A, notwithstanding anything to the contrary contained in Section 178 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951), or any other law, and may also partition the same suo motu.

(2) The partition of joint holdings shall be effected on the basis of shares, provided that where the tenure-holders concerned agree, it may be effected on the basis of specific plots].

59[10. Preparation and maintenance of revised annual registers. - (1) The annual register shall be revised on the basis of the orders passed under sub-section (1) and sub-section (2) of Section 9-A. It shall thereafter be prepared in the form prescribed and published in the unit.

(2) Where any entry in the annual register, published under sub-section (1), is modified in pursuance of an order passed under this Act or under any other law, a reference to the order along with an extract of its operative portion shall be noted against the said entry].

OLD LAW 6

10-A. [* * *](Deleted by U.P. Act No. 38 of 1958).

10-B. [* * *](Deleted by U.P. Act No. 38 of 1958).

60[11. Appeals. - (1) Any party to the proceedings under Section 9-A, aggrieved by an order of the Assistant Consolidation Officer or the Consolidation Officer under that section, may, within 21 days of the date of the order, file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, who shall, after affording opportunity of being heard to the parties concerned, give his decision thereon which, except as otherwise provided by or under this Act, shall be final and not be questioned in any Court of law.

(2) The Settlement Officer, Consolidation, hearing an appeal under sub-section (1) shall be deemed to be a Court of competent jurisdiction, anything to the contrary contained in any law for the time being in force notwithstanding].

61[11-A. Bar on objection. - No question in respect of -

(i) claims to land;

(ii) partition of joint holdings; and

(iii) valuation of plots, trees, wells and other improvements, where the question is sought to be raised by a tenure-holder of the plot or the owner of the tree, well or other improvements recorded in the annual register under Section 10, relating to the consolidation area, 62[which has been raised under Section 9 or which might or ought to have been raised under that section], but has not been so raised, shall be raised or heard at any subsequent stage of the consolidation proceedings].

11-B. [Deleted by U.P. Act No. 8 of 1963, Section 13].

63[11-C. In the course of hearing of an objection under Section 9-A or an appeal under Section 11, or in proceedings under Section 48, the Consolidation Officer, the Settlement Officer, Consolidation or the Director of Consolidation, as the case may be, may direct that any land which vests in the State Government or the Gram Sabha or any other local body or authority may be recorded in its name, even though no objection, appeal or revision has been filed by such Government, Gram Sabha, body or authority].

64[12. Decision of matters relating to changes and transactions affecting rights or interests recorded in revised records. - (1) All matters relating to changes and transfers affecting any of the rights or interests recorded in the revised records published under sub-section (1) of Section 10 for which a cause of action had not arisen when proceedings under Sections 7 to 9 were started or were in progress, may be raised before the Assistant Consolidation Officer as and when they arise, but not later than the date of notification under Section 52, or under sub-section (1) of Section 6.

(2) The provisions of Sections 7 to 11 shall mutatis mutandis, apply to the hearing and decision of any matter raised under sub-section (1) as if it were a matter raised under the aforesaid sections].

65[12-A. Assessment of land revenue on new holdings and distribution of revenue on parts of holdings. - (1) Notwithstanding anything contained in the U.P. Zamindari

Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951), the Settlement Officer, Consolidation, may, subject to the rules made in this behalf -

(a) determine the amount of land revenue payable by a tenure-holder on land on which he acquires rights as a result of orders passed under 66[* * *] this Act; and

(b) where necessary, also determine the amount of land revenue payable in respect of a portion of the tenure-holder's holding.

(2) In assessing the amount of the land revenue payable under sub-section (1), the provisions of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951), and the rules made thereunder shall mutatis mutandis apply].

12-B. [Deleted by Section 16 of Act No. 8 of 1963].

12-C. [Deleted by Section 16 of Act No. 8 of 1963].

67[12-D. Amalgamation of holdings. - Two or more tenure-holders may, at any time, before the publication of the revised annual register under sub-section (1) of Section 10, apply to the Consolidation Officer to amalgamate their holdings of like tenure on such terms as may be agreed upon between them. The Consolidation Officer may, if the proposed amalgamation is in the interest of consolidation, give effect to the same].

OLD LAW 6

CHAPTER III

Preparation Of Consolidation Scheme

13. [Deleted by U.P. Act No. 8 of 1963].

13-A. [Deleted by U.P. Act No. 8 of 1963].

13-B. [Deleted by U.P. Act No. 8 of 1963].

13-C. [Deleted by U.P. Act No. 8 of 1963].

13-D. [Deleted by U.P. Act No. 8 of 1963].

14. [Deleted by U.P. Act No. 8 of 1963].

15. [Deleted by U.P.(Amendment) Act No. 38 of 1958].

16. [Deleted by U.P. Act No. 8 of 1963].

16-A. [Deleted by U.P.(Amendment) Act No. 38 of 1958].

16-B. [Deleted by U.P.(Amendment) Act No. 38 of 1958].

17. [Deleted by U.P. Act No. 8 of 1963].

18. [Deleted by U.P. Act No. 8 of 1963].

68[19. Conditions to be fulfilled by a Consolidation Scheme. - (1) A Consolidation Scheme shall fulfil the following conditions, namely, -

(a) the rights and liabilities of a tenure-holders, as recorded in the annual register prepared under Section 10 are, subject to the deductions, if any, made on account of contributions to public purposes under this Act, secured in the lands allotted to him;

(b) the valuation of plots allotted to a tenure-holder, subject to deductions, if any, made on account of contributions to public purposes under this Act, is equal to the valuation of plots originally held by him :

Provided that, except with the permission of the Director of Consolidation, the area of the holding or holdings allotted to a tenure-holder shall not differ from the area of his original holding or holdings by more than twenty- five per cent of the later;

(c) the compensation determined under the provisions of this Act, or the rules framed thereunder, is awarded -

(1) to the tenure-holder -

(i) for trees, wells and other improvements, originally held by him and allotted to another tenure-holder; and

(ii) for land contributed by him for public purposes;

(2) to the Gram Sabha, or any other local authority, as the case may be, for development, if any, effected by it in or over land belonging to it and allotted to a tenure-holder;

(d) the principles laid down in the Statement of Principles are followed;

(e) every tenure-holder is, as far as possible, allotted a compact area at the place where he holds the largest part of his holding :

Provided that no tenure-holder may be allotted more chaks than three, except with the approval in writing of the Deputy Director of Consolidation :

Provided further that no consolidation made shall be invalid for the reason merely that the number of chaks allotted to a tenure-holder exceeds three;

(f) every tenure-holder is, as far as possible, allotted the plot on which exists his private source of irrigation or any other improvement, together with an area in the vicinity equal to the valuation of the plots, originally held by him there; and

(g) every tenure-holder is, as far as possible, allotted chaks in conformity with the process of rectangulation in rectangulation units.

(2) A Consolidation Scheme before it is made final under Section 23, shall be provisionally drawn up in accordance with the provisions of Section 19-A].

69[19-A. Preparation of provisional Consolidation Scheme by the Assistant Consolidation Officer. - (1) The Assistant Consolidation Office shall in consultation with the Consolidation Committee, prepare in the form prescribed a provisional Consolidation Scheme for the unit.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951), or any other law for the time being in force, it shall be lawful for the Assistant Consolidation Officer where in his opinion it is necessary or expedient so to do, to allot a tenure-holder, after determining its valuation, 70[any land belonging to the State Government, or] any land vested in the Gaon Sabha, or any other local authority, as a result of notification issued under Section 117 or 117-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951):

Provided that where any such land is used for a public purpose, it shall be allotted only after the Assistant Consolidation Officer has declared in writing that it is proposed to

transfer the rights of the public as well as of all individuals in or over that land to any other land specified in the declaration and earmarked for that purpose in the provisional Consolidation Scheme].

71[20. Publication of the provisional Consolidation Scheme and receipt of objections thereon. - (1) Upon the preparation of the Provisional Consolidation Scheme, the Assistant Consolidation Officer shall send, or cause to be sent, to the tenure-holders concerned and persons interested, notice containing relevant extracts therefrom. The provisional Consolidation Scheme shall, thereafter, be published in the unit.

(2) Subject to the provisions contained in Section 11-A, any person to whom notice has been sent under sub-section (1), and any other person affected by the provisional Consolidation Scheme, disputing the propriety or correctness of the entries in the Provisional Consolidation Scheme, or in the extracts furnished therefrom, may, within fifteen days of the receipt of the notice, or of the date of the publication of the provisional Consolidation Scheme, as the case may be, file an objection before the Assistant Consolidation Officer or the Consolidation Officer.

(3) Any person affected, or any person having any interest or right, in addition to the right of public highway, in or over any public land, or having other interest or right which is substantially prejudiced by the declaration made under sub-section (2) of Section 19-A, may within fifteen days after the publication of the provisional Consolidation Scheme, file an objection before the Assistant Consolidation Officer or the Consolidation Officer stating the nature of such interest or right].

21. Disposal of objection on the statement. - 72[(1) All objections received by the Assistant Consolidation Officer shall, as soon as may be, after the expiry of the period of limitation prescribed therefor, be submitted by him to the Consolidation Officer, who shall dispose of the same as also the objections received by him, in the manner hereinafter provided after notice to the parties concerned and the Consolidation Committee].

(2) Any person, aggrieved by the order of the Consolidation Officer under sub-section (1) may, within 73[15] days of the date of the order, file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, whose decision shall, except as otherwise provided by or under this Act, be final.

74[(3) Disposal of objections to the provisional Consolidation Scheme. - The Consolidation Officer shall, before deciding the objections, and the Settlement Officer, Consolidation, may, before deciding an appeal make local inspection of the plots in dispute after notice to the parties concerned and the Consolidation Committee.

(4) If, during the course of the disposal of an objection or the hearing of an appeal, the Consolidation Officer or the Settlement Officer, Consolidation, as the case may be, is of the opinion that material injustice is likely to be caused to a number of tenure-holders in giving effect to the provisional Consolidation Scheme, as prepared by the Assistant Consolidation Officer, or as subsequently modified by the Consolidation Officer, as the case may be, and that a fair and proper allotment of land to the tenure-holders of the units is not possible without revising the provisional Consolidation Scheme, or getting a fresh one prepared, it shall be lawful, for reasons to be recorded in writing for -

(i) the Consolidation Officer to revise the provisional Consolidation Scheme, after giving opportunity of being heard to the tenure- holders concerned, or to remand the same to the Assistant Consolidation Officer, with such directions as the Consolidation Officer, may consider necessary; and

(ii) the Settlement Officer, Consolidation, to revise the provisional Consolidation Scheme, after giving opportunity of being heard to the tenure-holders concerned or to remand the same to the Assistant Consolidation Officer, or the Consolidation Officer, as the Settlement Officer, Consolidation, may think fit, with such directions as he may consider necessary].

(5) [Deleted by Section 22 of U.P. Act No. 8 of 1963].

(6) [Deleted by Section 22 of U.P. Act No. 8 of 1963].

22. [Deleted by Section 23 of U.P. Act No. 8 of 1963].

75[23. Confirmation of the provisional Consolidation Scheme and the issue of the allotment orders. - (1) The Settlement Officer, Consolidation shall confirm the provisional Consolidation Scheme -

(a) if no objections are filed within the time specified in Section 20; or

(b) where such objections are filed, after such modifications or alterations, as may be necessary in view of the orders passed under sub-sections (1) to (4) of Section 21.

(2) The provisional Consolidation Scheme so confirmed shall be published in the unit and, except as otherwise provide by or under this Act, shall be final.

(3) (i) Where the allotment made under Section 19-A are not modified under Section 21 and are confirmed under sub-section (1), the extracts contained in the notice issued under Section 20, shall, 76[except as provided by or under this Act] be treated as final allotment orders for the tenure-holders concerned.

(ii) In cases not covered by clause (i), revised extract specifying the modified allotments, as confirmed under sub-section (1), shall be issued by -

(a) the Consolidation Officer, where the allotments are not modified by the Settlement Officer, Consolidation; and

(b) by the Settlement Officer, Consolidation, where he has modified the allotments, and the same shall 77[, except as otherwise provided by or under this Act,] shall be the final allotment orders for the tenure-holders concerned].

OLD LAW 6

CHAPTER IV

Enforcement Of The Scheme

78[24. Possession and accrual of compensation for trees, etc. - (1) The Settlement Officer, Consolidation, shall fix the date to be notified in the unit, from which the 79[final

Consolidation Scheme] shall come into force. On and after the said date a tenure-holder shall be entitled to enter into possession of the plots allotted to him.

(2) On and from the date of obtaining possession every tenure-holder getting trees, wells and other improvements existing on the plots allotted to him in pursuance of the enforcement of the 80 [final Consolidation Scheme] shall be liable for the payment of and pay to the former tenure-holder thereof, compensation for the trees, wells and other improvements, allotted to him, to be determined in the manner hereinbefore provided].

25. [Deleted by U.P.(Amendment) Act No. 38 of 1958).]

26. [Deleted by U.P.(Amendment) Act No. 38 of 1958).]

26-A. [Deleted by U.P.(Amendment) Act No. 38 of 1958).]

[27. New Revenue Records. - 81[(1) As soon as may be, after the final Consolidation Scheme has come into force, the District Deputy Director of Consolidation shall cause to be prepared for each village, a new map, field-book and record of rights in respect of the consolidation area, on the basis of the entries in the map, as corrected under Section 7, the Khasra chakbandi, the annual register prepared under Section 10 and the allotment orders as finally made and issued in accordance with the provisions of this Act. The provisions of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901(U.P. Act No.3 of 1901), shall subject to such modifications and alterations as may be prescribed, be followed in the preparation of the said map and records].

82[(2) All entries in the records of rights prepared in accordance with the provisions of sub-section (1) shall be presumed to be true until the contrary is proved.

(3) After the issue of notification under Section 52, the Collector shall, instead of the map, field-book and record of rights previously maintained by him, maintain the map, field-book and record of rights prepared in accordance with the provisions of sub-section (1) 83[and the provisions of the U.P. Land Revenue Act, 1901(U.P. Act No. 3 of 1901), relating to the maintenance and correction of such map, field-book and record of rights shall mutatis mutandis apply].

84[28. Delivery of Possession. - (1) The Assistant Consolidation Officer, on the application of the tenure-holder or the Land Management Committee, to whom chak or lands have been allotted under the final Consolidation Scheme, 85[may, and where any land has been allotted to the State Government shall, without any application of the State Government, within six months of the date on which the said Scheme has come into force, put the tenure-holder or the Land Management Committee or the State Government, as the case may be, in actual physical possession of the allotted chak or lands], and for so doing shall have all the powers, including powers as regards contempt, resistance and the like as are exercisable by a Civil Court in execution of a decree for delivery of possession of immovable property :

Provided that the delivery of possession as aforesaid shall not affect the right of the person from whom possession is transferred to tend and gather the crops standing on such chaks or land or part thereof, on the date of the delivery, unless the Assistant Consolidation Officer decides, for reasons to be recorded, that the possession over the crop also shall be delivered :

Provided further that the person tending and gathering the standing crop, in accordance with the first proviso, shall be liable to pay to the persons who have been allotted the chak, or lands, compensation for the use of the land at such rate and in such manner as may be prescribed.

(2) On the expiry of six months from the date on which a tenure-holder or Land Management Committee 86[or the State Government] became entitled to enter into possession of the chak or lands allotted, whether before or after the coming into force of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Amendment) Act, 1962, or on the expiry of six months from the date of the coming into force of that Act, whichever is later, the tenure-holder or the Land Management Committee 87[or the State Government], as the case may be, shall, unless possession has been obtained earlier, be deemed to have entered into actual physical possession of the allotted chak or lands :

Provided that the fact that a tenure-holder or Land Management Committee 88[or the State Government] has thus entered into possession shall not affect the right of the person from whom possession is deemed to have been transferred to tend and gather the crop standing on the chak or lands, or part thereof, on the date of the expiry of the period of six months aforesaid].

89[29. Compensation. - (1) Where possession over standing crops is also delivered under Section 28, the Assistant Consolidation Officer shall determine in the manner prescribed the compensation payable in respect of such crops by the tenure-holder put in possession 90[* * *].

91[(1-A) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may, within fifteen days of the date of the order, prefer an appeal before the Consolidation Officer, whose decision thereon shall be final].

(2) [Deleted by U.P. Act No. 24 of 1956(w.e.f. 3-7-1956)].

(3) [Deleted by U.P. Act No. 24 of 1956(w.e.f. 3-7-1956)].

OLD LAW 6

92[29-A. Recovery of compensation. - (1) Where a tenure-holder from whom compensation is recoverable under this Act, fails to pay the same within the period prescribed therefor, the person entitled to receive it, may in addition to any other mode of recovery open to him, apply to the Collector within such time as may be prescribed to recover the amount due on his behalf as if it were an arrears of land revenue payable to Government.

(2) Where any compensation payable under this Act is not paid whether in whole or in part within three months of the date 93[of obtaining possession under Section 24 or Section 28, as the case may be] interest at the rate of 6 per cent per annum shall be charged on the amount not so paid].

94[29-AA. Reduction of Land Revenue on account of contribution of land for public purposes. - (1) Where, as a result of contribution for public purposes under the

provisions of Section 8-A, the area of the original holding of a tenure-holder is reduced, the land revenue payable for the holding shall be reduced by the Assistant Consolidation Officer in the same proportion as the area so contributed bears to the original total area of the holding, and the reduced land revenue shall be shown in the Provisional Consolidation Scheme.

(2) A tenure-holder aggrieved by the reduction made under sub-section (1) may, within fifteen days of the date of publication of the Provisional Consolidation Scheme under Section 20, file an objection before the Assistant Consolidation Officer or the Consolidation Officer, for getting the reduction of the land revenue determined in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951)].

95[29-B. Compensation for land contributed by tenure-holders for public purposes. -

(1)(a) Every tenure-holder, any part of whose holding has been contributed for public purposes under this Act, shall be paid for the land so contributed, compensation equal to -

(i) in the case of land of a 96[bhumidhar with transferable rights], four times; and

(ii) in the case of land of a 97[bhumidhar with non-transferable rights]; two times of the land revenue reduced under Section 29-AA.

(b) In the case of trees, wells and other improvements, falling within the land so contributed, the amount of compensation shall be determined in accordance with the provisions of Section 19.

(2) The compensation payable to a tenure-holder shall, after adjustment of the cost of operations under this Act, if any, be paid to him in cash.

(3) Where any land, in respect of which compensation is paid under sub-section (1) is in the occupation of an asami, there shall be paid to the asami, out of the compensation payable to the 98[bhumidhar with transferable rights or bhumidhar with non-transferable

rights], as the case may be, an amount equal to 5 per cent of such compensation in respect of the right, title and interest of the asami therein.

99[29-C. Vesting of land contributed for public purposes. - 100[(1) The land contributed for public purposes under this Act shall, with effect from the date on which the tenure-holders became entitled to enter into possession of the chaks allotted to them under the provisions of this Act as amended from time to time, vest and be always deemed to have vested in the Gram Sabha 101[in an area in which Section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P.Act No. 1 of 1951) applies and in the State Government in any other area], and shall be utilised for the purpose for which it was earmarked in the final Consolidation Scheme, or in case of failure of that purpose, for each other purposes as may be prescribed].

102[(2) The provisions of Section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U.P. Act No. 1 of 1951) shall mutatis mutandis apply to such land 103[vested in the Gram Sabha] as if the land had vested in the Gram Sabha by virtue of a declaration made by the State Government under sub-section (1) of that section and as if the declaration were made subject to the conditions respecting utilisation specified in sub-section (1) of this section].

(3) [Deleted by Section 3 U.P. Act No. 21 of 1966(w.e.f. 26-8-1966)].

104[30. Consequences which shall ensue on exchange of possession. - With effect from the date on which a tenure-holder enters, or is deemed to have entered into possession of the chak allotted to him, in accordance with the provisions of this Act, the following consequences shall ensue -

(a) the rights, title, interest and liabilities -

(i) of the tenure-holder entering, or deemed to have entered into possession; and

(ii) of the former tenure-holder of the plots comprising the chak, in their respective original holdings shall cease; and

(b) the tenure-holder entering into possession or deemed to have entered into possession, shall have in his chak the same rights title, interests and liabilities as he had in the original holding together with such other benefits of irrigation from a private source, till such source exists, as the former tenure-holder of the plots comprising the chak had in regard to them;

(c) land vested in the Gram Sabha, or any local authority and allotted to the tenure-holder shall be deemed to have been resumed by the State Government under the provisions of Section 117 or Section 117-A, as the case may be, of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, and settled with the tenure-holder;

(d) the rights of the public as well as all individuals in or over land included in a chak following a declaration made under the proviso to sub-section (2) of Section 19-A, shall cease and be created in the land specified for the purpose in the final Consolidation Scheme; and

(e) the encumbrances, if any, upon the original holding of the tenure-holder entering, or deemed to have been entered, into possession, whether by way of lease, mortgage or otherwise, shall, in respect of that holding, cease, and be created on the holdings, or on such part thereof, as may be specified in the final Consolidation Scheme].

31. [Deleted by section 33 of U.P. Amendment Act No. 8 of 1963].

105[32. Power to transfer holdings. - A transfer, whether by exchange or otherwise, of rights, title, interest and liabilities of tenure-holders in their holdings, involved in giving effect to the final Consolidation Scheme affecting them shall, notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901(U.P. Act No. 3 of 1901), and the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951), be valid, and no tenure-holder or other person shall be entitled to object to or interfere with any such transfer].

106[33. Costs. - 107[(1) The State Government shall fix the amount of the cost of the operations conducted under the Act and shall recover from the tenure-holders of the unit such part thereof and in such manner as may be prescribed].

108[(2) If the State Government so decides, it may order that specified amount be recovered in advance in the manner prescribed, as the first instalment of the cost of 109[the said operation].

(3) Any amount payable as costs under this section shall be recoverable as arrears of land revenue].

34. [Deleted by U.P. Act No. 8 of 1963].

35. [Deleted by U.P. Act No. 8 of 1963]

36. [Deleted by U.P. Act No. 38 of 1958].

36-A. [Deleted by U.P. Act No. 38 of 1958].

CHAPTER V

Miscellaneous

37. [Deleted by U.P. Act No. 38 of 1958].

38. Powers to enforce attendance of witnesses and in certain matter. - (1) 110[The Director of Consolidation , Deputy Director of Consolidation] and Settlement Officer, Consolidation, Consolidation Officer and Assistant Consolidation Officer shall have all such powers and rights and privileges as are vested in a Civil Court on the occasion of any action, in respect of the following matters -

(a) the enforcing of the attendance of witnesses and examining them on oath, affirmation or otherwise and the issue of a commission or request to examine witnesses abroad;

(b) compelling any one for the production of any document;

(c) the punishing of persons guilty of contempt,

and a summon signed by such officer may be substituted for and shall be equivalent to any formal process capable of being issued in any action by a Civil Court for enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of document.

(2) [Deleted by U.P. Act No. 38 of 1958].

39. Power for production of documents, etc. - (1) Subject to any conditions or restrictions that may be prescribed, the 111[Director of Consolidation, Deputy Director of Consolidation], Settlement Officer Consolidation, Consolidation Officer or Assistant Consolidation Officer may, by written order, require any person to produce such documents, papers and registers or to furnish such information as he may deem necessary for the proper exercise of his powers or the proper discharge of his duties under this Act.

(2) Every person required to produce any document, paper or register or to furnish an information, under this section shall be deemed legally bound to do so within the meaning of Sections 175 and 176 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860).

40. Proceeding before Settlement Officer, Consolidation, Consolidation Officer and Assistant Consolidation Officer to be judicial proceedings. - A proceeding before a 112[Director of Consolidation, Deputy Director of Consolidation], Settlement Officer, Consolidation, Consolidation Officer and Assistant Consolidation Officer, shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of Sections 193 and 228 and for purposes of Section 196 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860).

41. Application of U.P. Land Revenue Act, 1901. - Unless otherwise expressly provided by or under this Act, the provisions of chapters IX and X of the U.P. Land Revenue Act, 1901(U.P. Act No. 3 of 1901) shall apply to all proceedings including appeal and applications under this Act.

113[41-A. Affidavits. - Affidavits to be filed in any proceedings under the Act, including an appeal or revision, shall be made in the same manner and conform to the same requirements as affidavits filed under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. 5 of

1908) and may be verified by any officer or other person appointed by the High Court under clause (b) or by an officer appointed by any other Court under clause (c) of Section 139 of the said Code].

114[42. Officers and authorities. - 115[(1) The State Government may appoint such authorities and officers, and for such areas, as may be necessary, to give effect to the provisions of this Act].

(2) The District Deputy Director of Consolidation may, subject to such directions as the Director of Consolidation may issue from time to time, demarcate the circles to be assigned to Consolidation Lekhpals, Consolidators and other authorities appointed for the district under sub-section (1)].

116[42-A. Correction of Clerical or Arithmetical errors. - Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, if the Consolidation Officer or the Settlement Officer, Consolidation, is satisfied that a clerical or arithmetical error apparent on the face of the record exists in any document prepared under any provision of this Act, he shall, either on his own motion, or on the application of any person interested, correct the same].

43. [Deleted by Section 38 of U.P. Act No. 8 of 1963].

117[44. Delegation. - The State Government may, by notification in the Official Gazette, and subject to such restrictions and conditions as may be specified in the notification :

(i) delegate to any officer or authority any of the powers conferred upon it by this Act; and

(ii) confer powers of the Director of Consolidation, Deputy Director, Consolidation, the Settlement Officer, Consolidation, and the Consolidation Officer under this Act or the rules made thereunder, on any officer or authority].

118[44-A. Powers of subordinate authority to be exercised by a superior authority. - Where powers are to be exercised or duties to be performed by any authority under this

Act or the rules made thereunder, such powers or duties may also be exercised or performed by any authority superior to it].

45. Powers of officer to enter upon land for purpose of survey and demarcation. - The officer mentioned in this Act or any person acting under the orders of any one of them may, in the discharge of any duty under this Act, enter upon and survey land and erect survey marks thereon and demarcate the boundaries thereof and do all other acts necessary for the proper performance of that duty.

119[45-A. Penalty for contravening provisions of Section 5. - (1) Any person contravening the provisions of Section 5(1)(c)(i) shall, on conviction by a Court of competent jurisdiction, be liable to a fine not exceeding rupees one thousand.

(2) A transfer made in contravention of the provisions of Section 5(1)(c)(ii) shall not be valid or recognized; anything contained in any other law for the time being in force to the contrary notwithstanding.

46. Penalty for destruction, injury to or removal of survey 120[or boundary] marks - (1) If any person destroys wilfully or injures or removes without lawful authority a survey 121[or boundary] mark lawfully erected, he may be ordered by a Consolidation Officer to pay such compensation not exceeding 122[one thousand rupees] for each mark so destroyed, injured or removed, as may in the opinion of that officer be necessary to defray the expenses of restoring the same and of rewarding the person, if any, who gave information of the destruction, injury or removal.

(2) The orders for the payment of compensation under sub-section (1) shall not bar a prosecution under Section 434 of the Indian Penal Code 1860 (Act No. 45 of 1860).

47. Appeal, etc., to be allowed by Act. - No appeal and no application for revision shall lie from any order passed under the provisions of this Act except as provided by or under this Act.

123[48. Revision and reference. - (1) The Director of Consolidation may call for and examine the record of any case decided or proceedings taken by any subordinate

authority for the purpose of satisfying himself as to the regularity of the proceedings; or as to the correctness, legality or propriety of any order 124[other than an interlocutory order] passed by such authority in the case or proceedings, and may, after allowing the parties concerned an opportunity of being heard, make such order in the case or proceedings as he thinks fit.

(2) Powers under sub-section (1) may be exercised by the Director of Consolidation also on a reference under sub-section (3).

(3) Any authority subordinate to the Director of Consolidation may, after allowing the parties concerned an opportunity of being heard, refer the record of any case or proceedings to the Director of Consolidation for action under sub-section (1)].

125[Explanation. 126[I] For the purposes of this section, Settlement Officers, Consolidation, Consolidation Officers, Assistant Consolidation Officers, Consolidator and Consolidation Lekhpals shall be subordinate to the Director of Consolidation].

127[Explanation (II) - For the purposes of this section the expression 'interlocutory order' in relation to a case or proceedings, means such order deciding any matter arising in such case or proceeding or collateral thereto as does not have the effect of finally disposing of such case or proceeding].

128[Explanation (III). - The power under this section to examine the correctness, legality or propriety of any order includes the power to examine any finding, whether of fact or law, recorded by any subordinate authority, and also includes the power to re-appreciate any oral or documentary evidence].

129[48-A. Special provisions with respect to evacuee property. - (1) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Act -

(a) no decision of the Custodian of Evacuee Property (hereinafter in this section referred to as the Custodian), in relation to title to any land vested in him as evacuee property under the provisions of the Administration of Evacuee Property Act, 1950, shall be called in question and varied or reversed by any officer or authority under this Act; and

(b) nothing in this Act shall be construed as requiring the Custodian to stay any proceedings in relation to title to any such land pending before him on the date of the coming into force of those provisions of this Act under which proceedings in relation to title to land are required to be stayed or as empowering the Consolidation Officer or any other officer or authority to refer for determination of any question of title in relation to such land involved in any proceedings pending before the Custodian on such date.

(2) Where as a result of consolidation operations in any village -

(a) lands, which are vested as evacuee property in the Custodian under the provisions of the Administration of Evacuee Property Act, 1950, are included in holdings which are not vested in the Custodian as evacuee property, such lands shall, on and from the date of the coming into force of the consolidation scheme, cease to be so vested in the Custodian, and the provisions of the said Act shall thereupon cease to apply in relation thereto; and

(b) in lieu of such lands, corresponding lands shall be included in holdings which are vested in the Custodian as evacuee property, and such lands shall, on and from the date of the coming into force of the Consolidation Scheme, be deemed to be evacuee property declared as such within the meaning of the aforesaid Act and be vested in the Custodian and the provisions of the said Act shall thereupon apply, so far as may be, in relation to such lands].

130[48-B. Exchange of possession. - (1) Where change of possession becomes necessary amongst tenure-holders including the Land Management Committee of the Circle as a result of orders passed under 131[* * *] Section 48, it shall be lawful for them to exchange possession amongst themselves in accordance with such orders.

(2) Where change of possession cannot be affected by mutual arrangement, the Assistant Consolidation Officer shall effect delivery of possession to such tenure-holders and the Land Management Committee in accordance with the provisions of Section 28].

132[49. Bar to Civil Court jurisdiction. - Notwithstanding anything contained in any other law Courts for the time being in force, the declaration and adjudication of rights of tenure-holder in respect of land, lying in an area, for which a 133[notification] has been issued 134[under sub-section (2) of Section 4], or adjudication of any other right arising out of consolidation proceedings and in regard to which a proceeding could or ought to have been taken under this Act, shall be done in accordance with the provisions of this Act and no Civil or Revenue Court shall entertain any suit or proceeding with respect to rights in such land or with respect to any other matters for which a proceeding could or ought to have been taken under this Act]:

135[Provided that nothing in this section shall preclude the Assistant Collector from initiating proceedings under Section 122-B of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950(U.P. Act No. 1 of 1951) in respect of any land, possession over which has been delivered or deemed to be delivered to a Gram Sabha under or in accordance with the provisions of this Act].

OLD LAW 6

136[49-A. Protection of action taken under this Act or Rules made thereunder. - No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or Rules made thereunder].

137[50. Exemption from court-fee. - No court-fee shall be payable on any application made or any document filed, with the exception of a Vakalatnama, in a suit or proceedings under the provisions of this Act].

OLD LAW 6

138[51. Instrument not necessary to effect transfer. - Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no instrument in writing shall be necessary for effecting a transfer of holdings involved in giving effect to a final Consolidation Scheme nor shall any such instrument, if executed, required registration].

OLD LAW 6

139[52. Close of consolidation operations. - (1) As soon as may be, after fresh maps and records have been prepared 140[under sub-section (1) of Section 27], the State Government shall issue a notification in the Official Gazette that the consolidation operations have been closed in the 141[unit and the village or villages forming a part of the unit] shall then cease to be under consolidation operations] :

142[Provided that the issue of the notification under this section shall not affect the powers of the State Government to fix, distribute and record the cost of operations under this Act].

143[(1-A) The notification issued under sub-section (1) shall be published also in a daily newspaper having circulation in the area and in such other manner as may be considered proper].

144[(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any order passed by a Court of competent jurisdiction in cases of writs filed under the provisions of the Constitution of India, or in cases of proceedings pending under this Act on the date of issue of the notification under sub-section (1), shall be given effect to by such authorities, as may be prescribed and the consolidation operation shall, for that purpose, be deemed to have not been closed].

145[(3) Where the allotment or lease of any land made before the Consolidation Scheme becomes final under Section 23, is cancelled by an order under sub-section (4) of Section 198 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U.P. Act No. 1 of 1951) and such order becomes final, then notwithstanding anything contained in the provisions of this Act, such order shall be given effect to by such authorities, as may be prescribed, in the following manner, and the consolidation operation shall, for that purpose, be deemed to have not closed, namely ,

(a) the value of the land which was the subject-matter of such allotment or lease shall first be ascertained in the manner prescribed;

(b) the value referred to in clause (a) shall be deducted from the total value of land allotted to the tenure-holder concerned during consolidation proceedings;

(c) the tenure-holder shall be entitled, during consolidation proceeding, to land equivalent in valuation to the said land].

OLD LAW 6

146[52-A. Special Provisions for Chak Roads and Chak Guls. - (1) In the case of a unit in relation to which a notification under sub-section (1) of Section 52 has been issued before the commencement of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Amendment) Act, 1970, the Collector may, if he is of opinion that there exists no provision or inadequate provision of Chak Roads or Chak Guls in the unit and shall, if a representation in that behalf be not less than ten per cent of the total number of tenure-holders is made to him within six months of the said commencement, proceed to take action under sub-section (2), anything to the contrary contained in Section 52 notwithstanding.

(2) The Collector shall cause a notice of the proposal to take action under this section and also of the representation, if any, received under sub-section (1) to be given in the unit by beat of drum and in such other manner, if any, as he thinks fit, and direct any Consolidation Officer to inspect the locality and take reasonable steps to ascertain the wishes of the tenure-holders, or, as the case may be, of such of them as have not joined in the representation, and to make such other inquiry into the matter as he thinks fit.

(3) Such Consolidation Officer shall make a report to the Collector on the advisability or otherwise of drawing up a plan making provision or, as the case may be, more adequate provision for Chak Roads or Chak Guls in the unit, and the Collector on being satisfied after considering such report that it is necessary or expedient so to do, shall cause a draft plan to be prepared.

(4) The Assistant Consolidation Officer shall thereupon, after ascertaining informally the wishes of as many tenure-holders of the unit as he considers practicable, prepare a draft plan in the prescribed form proposing such provision or additional provision of Chak Roads or Chak Guls, as may be necessary. In preparing the draft plan, the Assistant Consolidation Officer shall have regard to the following principles, namely :

(a) That as far as practicable, provision of Chak Roads and Chak Guls should be made primarily by utilising land vested in the Gram Sabha and secondarily out of land held by those tenure-holders whose Chaks are connected with the proposed Chak Roads or Chak Guls, and in the last resort, out of any other land;

(b) The re-arrangement of Chaks should be made only to the extent it is really necessary for making provision of Chak Roads and Chak Guls with the minimum possible dislocation in the Consolidation Scheme already confirmed.

(5) The draft plan prepared under sub-section (4) shall be published in the prescribed manner.

(6) Any person affected by the draft plan may, within 15 days from the date of such publication, file an objection in writing before the Consolidation Officer.

(7) (a) The Consolidation Officer shall dispose of all objections after notice to the parties concerned.

(b) Any person aggrieved by the order of the Consolidation Officer under clause (a) may, within 15 days from the date of the order, file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, whose decision thereon shall be final.

(c) Before deciding the objections under clause (a), the Consolidation Officer, and before deciding the appeal under clause (b), the Settlement Officer, Consolidation, may make a local inspection of the site in dispute after notice to the parties concerned.

(d) It shall be lawful, for reasons to be recorded in writing, for the Consolidation Officer under clause (a) and the Settlement Officer, Consolidation, under clause (b) to modify the draft plan in accordance with the principles specified in sub-section (4) and for the

Settlement Officer, Consolidation, to remand the same either to the Consolidation Officer or to the Assistant Consolidation Officer with such directions as he thinks fit.

(8) The Settlement Officer, Consolidation, shall confirm the plan -

(a) if no objections are filed within the time specified in sub-section (6); or

(b) where such objections are filed, after such modifications or alterations, as may be necessary, in view of the orders passed on objection and appeal under sub-section (7).

(9) The plan confirmed under sub-section (8) shall be published in the unit in the prescribed manner and shall come into force on the date of such publication, and thereupon the Consolidation Scheme and the allotment orders made final under Section 23 shall stand amended to the extent indicated in the plan, and fresh allotment orders shall be issued by the Settlement Officer, Consolidation, accordingly.

(10) The provisions of Chapter IV shall mutatis mutandis apply in relation to the said plan as they apply in relation to the final Consolidation Scheme, and for the purposes of application of Chapter IV, land contributed for Chak Roads and Chak Guls provided under this section shall be deemed to be land contributed for public purposes under Section 8-A.

147[53. Mutual exchange of chaks between tenure-holders. - It shall be lawful for the Settlement Officer, Consolidation, at any stage of the consolidation proceedings but before the preparation of the final records under Section 27, to allow mutual exchange of chaks or part thereof 148[by agreement] between the tenure-holders where he is satisfied that the exchange will improve the shape of chaks, or reduce their number and generally lead to greater satisfaction amongst them].

149[53-A. Recognition of consolidation scheme prepared by tenure-holders. - (1) The Deputy Director, Consolidation, may recognize a 150[Consolidation Scheme] in respect of a village, whether within or without a consolidation area prepared voluntarily by the tenure-holders of the village, where he is satisfied that it conforms to the broad

principles of consolidation under this Act, and has the support of all the tenure-holders concerned and is otherwise fair to all concerned.

(2) The 151[Consolidation Scheme] recognized under sub-section (1) shall be deemed to have been prepared and confirmed under the provisions of this Act, and shall be enforced thereunder].

152[53-B. Limitation. - The provisions of Section 5 of the Limitation Act, 1963(Act No. 36 of 1963), shall apply to the applications, appeals, revisions and other proceedings under this Act or the rules made thereunder].

54. Part to make rules. - (1) The State Government 153[may, by notification in the Gazette], make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act.

154[(2) Without prejudice to the generality of foregoing power, such rules may provide for -

(a) the form of 155[notification] 156[under sub-section (2) of Section 4];

(b) the constitution of Consolidation Committee under Clause (2-AA) of Section 3, determination of the terms of members of the Consolidation Committee and action to be taken on a vacancy occurring therein;

(c) the procedure for the disposal of suits and proceedings stayed under Section 5;

157[(cc) the conditions to be observed by the Settlement Officer, Consolidation in granting permission referred to in clause (c) of sub-section (1) of Section 5, for transfer of holdings in this Consolidation area];

(d) procedure relating to the revision of maps and records including declaration of rights, partition of joint holdings, valuation of plots, determination and apportionment of compensation for wells, trees and other improvements and the preparation and publication of the Statement of Principles under Sections 7 to 11 and 12;

(e) the determination of land revenue over new holdings and distribution thereof on the portions of old holdings under Section 12-A;

158[(f) procedure relating to amalgamation of holdings under Section 12-D;

- (g) the procedure and the manner relating to the preparation, publication and confirmation of the Consolidation Scheme under Sections 19-A, 21 and 23;
- (h) the procedure and the manner of issue of allotment orders under Section 23];
- (i) the procedure and the manner in which the view of the Consolidation Committee shall be obtained on matters specified for this purpose;
- (j) the determination of the public purpose for which areas may be earmarked and the manner in which this shall be done;
- (k) the matters relating to transfer of rights from the public land to other land earmarked for public purpose;
- (l) the procedure for entering into possession under Sections 24 and 28;
- (m) the procedure and the manner for determination of compensation to be paid to, or recovered from any person under this Act;
- (n) the circumstances and the manner which shall be taken into consideration in distributing the cost of consolidation, including the proportion in which the distribution may be made;
- (o) the matters relating to the mode of service of notice or documents under this Act;
- (p) the procedure to be followed in all proceedings including applications and appeals under this Act;
- (q) the duties of any officer or authority having jurisdiction under this Act and the procedure to be followed by such officer and authority;
- (r) the time within which applications and appeals may be presented under this Act in cases for which no specific provision in that behalf has been made therein;
- (s) imposing limits of time within which things to be done for the purposes of the rules must be done, with or without powers to any authority therein specified to extend limits imposed;
- (t) the transfer of proceedings from one authority or officer to another; and
- (u) any other matter which is to be, or may be prescribed].

159[(3) All rules made under this section shall, as soon as, may be, after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days comprised in its one session, or two or more successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period agree to make so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder].

-
1. Sub-section (3) of Section 1 in relation to territories transferred from Bihar to U.P. by or under Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968, has been omitted by U.P. Laws (Extension of Territories Transferred from Bihar) Act, 1976 (U.P. Act No. 52 of 1976), Vide Section 3 and Schedule (w.e.f. 15-10-1976).
 2. Section 1 came into force at one on 8-3-1954 and Section 2 to 54 came into force on 24-7-1954, vide Notification No. 2564 (4) 1-A-813-54, published in U.P. Gazette, Part I-A, dated 24-7-1954.
 3. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
 4. Added by Section 2 of U.P. Act No. 8 of 1963.
 5. Added by Section 2 of U.P. Act No. 8 of 1963.
 6. Subs. by Section 2 of U.P. Act No. 38 of 1958.
 7. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.
 8. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991 vide Section 3 (a) (w.e.f. 19.2.1991).
 9. Re-numbered as sub-section (2-AA) by U.P. Act No. 38 of 1958.
 10. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.

11. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
12. Added by Section 2 of U.P. Consolidation of Holdings (Amendment) Act No. 8 of 1963.
13. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
14. Added by Section 2 of U.P. Consolidation of Holdings (Amendment) Act No. 8 of 1963.
15. Added by Section 2 of U.P. Consolidation of Holdings (Amendment) Act No. 8 of 1963.
16. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
17. Added by U.P. Act No. 8 of 1963.
18. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.
19. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.
20. Subs. by Section 2 of U.P. Consolidation of Holdings (Amendment) Act No. 8 of 1963.
21. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
22. Added by Section 2 of U.P. Consolidation of Holdings (Amendment) Act No. 8 of 1963
23. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
24. Subs. by Section 44 of U.P. Land Laws (Amendment) Act No. 12 of 1965 (w.e.f. 18-6-1965).
25. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991 (w.e.f. 19-2-1991).
26. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.
27. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.
28. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.
29. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.

30. Added by Section 4 of U.P. Land Laws (Amendment) Act No. 12 of 1965 (w.e.f. 18-6-1965).
31. Subs. by Section 3 of U.P. (Amendment) Act No. 9 of 1963.
32. Subs. by U.P. act No. 30 of 1991, vide Section 4 (w.e.f. 19-2-1991).
33. Ins. by U.P. Act No. 35 of 1976 (w.e.f. 15-6-1976).
34. Subs. by Section 19 of U.P. Land Laws (Amendment) Act No. 24 of 1986 (w.e.f. 28-11-1986).
35. Add. by U.P. Act. No. 21 of 1966, dated 29-8-1966.
36. Subs. by Section 45 of U.P. Land Laws (Amendment) Act No. 12 of 1965 (w.e.f. 18-8-1965), dated 18-8-1965.
37. Subs. by Section 45 of U.P. Land Laws (Amendment) Act No. 12 of 1965 (w.e.f. 18-8-1965).
38. Subs. by Section 45 of U.P. Land Laws (Amendment) Act No. 12 of 1965 (w.e.f. 18-8-1965).
39. Add. by U.P. Act. No. 21 of 1966, dated 29-8-1966.
40. Subs. by U.P. Act No. 35 of 1976 and shall be deemed always to have been substituted.
41. Subs. by section 4 of U.P. Act No. 8 of 1963 for the words "declaration".
42. Subs. by section 4 of U.P. Act No. 8 of 1963.
43. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
44. Subs. by section 4 of U.P. Act No. 8 of 1963.
45. Ins. by U.P. Act No. 3 of 2002, vide Section 2 (w.e.f. 21-6-2002).
46. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
47. Subs. by section 5 of U.P. Act No. 8 of 1963 For the words "a scheme of consolidation".
48. Subs. by section 6 of U.P. Act No. 8 of 1963.
49. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 6 (w.e.f. 19-2-1991).

50. Added by section 7 of U.P. Act No. 8 of 1963.
51. Ins. by U.P. Act No. 6 of 1978, Section 9 (w.e.f. 21-1-1978).
52. Ins. by U.P. Act No. 6 of 1978, Section 9 (w.e.f. 21-1-1978).
53. Subs. by section 8 of U.P.(Amendment) Act No. 8 of 1963.
54. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 7 (w.e.f. 19-2-1991).
55. Added by section 9 of U.P. Act No. 8 of 1963.
56. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 8 (w.e.f. 19-2-1991).
57. Added by section 9 of U.P. Act No. 8 of 1963.
58. Added by section 9 of U.P. Act No. 8 of 1963.
59. Subs. by section 10 of U.P. Act No. 8 of 1963.
60. Subs. by section 10 of U.P. Act No. 8 of 1963.
61. Subs. by section 10 of U.P. Act No. 8 of 1963.
62. Subs. by U.P. Act No. 4 of 1969, vide Section 24 (w.e.f. 1-9-1969).
63. Ins. by U.P. Act No. 34 of 1974.
64. Subs. by section 14 of U.P. Act No. 8 of 1963.
65. Subs. by U.P. Act No. 8 of 1963.
66. The words and figures "Section 7 to 11 and 12 of" have been deleted by Section 15 of Act No. 8 of 1963.
67. Subs. by section 17 of U.P. Act No. 8 of 1963.
68. Subs. by U.P. Act No. 8 of 1963.
69. Added by section 20 of U.P. Act No. 8 of 1963.
70. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 9 (w.e.f. 19-2-1991).
71. Subs. by U.P. Act No. 8 of 1963.
72. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
73. Subs. for the figure "21" by Section 22 of U.P. Act No. 38 of 1958.
74. Subs. by section 22 of U.P. Act No. 8 of 1963.
75. Subs. by section 24 of U.P. Act No. 8 of 1963,(w.e.f. 8-3-1963).

76. Ins. by Section 46 U.P. Act No. 12 of 1965 (w.e.f. 18-6-1965).
77. Ins. by Section 46 U.P. Act No. 12 of 1965 (w.e.f. 18-6-1965).
78. Subs. by section 25 of U.P. Act No. 8 of 1963.
79. Subs. by section 25 of U.P. Act No. 8 of 1963.
80. Subs. by section 25 of U.P. Act No. 8 of 1963.
81. Subs. by section 25 of U.P. Act No. 8 of 1963.
82. Subs. by section 27 of U.P. Act No. 12 of 1965.
83. Subs. by U.P. Act No.34 of 1974.
84. Subs. by U.P. Act No. 34 of 1974.
85. Subs. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 10 (a) (w.e.f. 19-2-1991), for the wo... “may, within six monts of the date on which the said scheme has come into force,..
The tenure-holder or the Land Management Committee, as the case may, be in ac...
physical possession of chak or lands allotted to the applicant.
86. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 10(b) (w.e.f. 19-2-1991).
87. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 10(b) (w.e.f. 19-2-1991).
88. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 10(b) (w.e.f. 19-2-1991).
89. Subs. by U.P. Act No. 13 of 1955.
90. Deleted by U.P. Act No. 24 of 1956.
91. Added by Section 28 of U.P. Act No. 8 of 1963.
92. Added by U.P. Act No. 24 of 1956.
93. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
94. Added by Section 29 of U.P. Act No. 8 of 1963.
95. Added by Section 30 of U.P. Act No. 8 of 1963.
96. Subs. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 11 (a) (i) for the words “bhumidhar” (w.e.f. 19-2-1991).
97. Subs. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 11 (a) (ii) for the words “sirdar” (w.e.f. 19-2-1991).

98. Subs. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 11 (a) (i) for the words “bhumidhar or sirdar” (w.e.f. 19-2-1991).
99. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.
100. Subs. by Section 31 of U.P. Act No. 8 of 1963.
101. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 12 (a) (w.e.f. 19-2-1991).
102. Subs. by U.P. Act No. 21 of 1966.
103. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 12 (b) (w.e.f. 19-2-1991).
104. Subs. by Section 32 of U.P. Act No. 8 of 1963.
105. Subs. by Section 34 of U.P. Act No. 8 of 1963.
106. Subs. by U.P. Act No. 24 of 1956.
107. Subs. by Section 35 of U.P. Act No. 8 of 1963.
108. Subs. by U.P. Act No. 8 of 1963.
109. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
110. Ins. by U.P. Act No. 38 of 1958.
111. Ins. by U.P. Act No. 38 of 1958.
112. Ins. by U.P. Act No. 38 of 1958.
113. Ins. by U.P. Act No. 31 of 1970.
114. Subs. by U.P. Act No. 8 of 1963.
115. Subs. by U.P. Act No. 8 of 1963.
116. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.
117. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
118. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.
119. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
120. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 13 (a) (w.e.f. 19-2-1991).
121. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 13 (b) (w.e.f. 19-2-1991).
122. Subs. by U.P. Act No. 30 of 1991, vide Section 13 (b), for the words “ fifty rupees” (w.e.f. 19-2-1991).

123. Subs. by Section 39 of U.P. Act No. 8 of 1963.
124. Ins. by U.P. Act No. 20 of 1982(w.e.f. 10.11.1980).
125. Added by U.P. Act No. 4 of 1969, vide section 25 and shall be deemed always to have been added.
126. Existing Explanation renumbered as "Explanation I and Explanation II Ins. by U.P. Land Laws (Amendment) Act No. 20 of 1982 (w.e.f. 10.11.1980)
127. Ins. by U.P. Act No. 20 of 1982.
128. Ins. by U.P. Act No. 3 of 2002, vide Section 3 (deemed to have come into force with retrospective effect (w.e.f. 10.11.1980)
129. Added by U.P. Act No. 26 of 1954.
130. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.
131. Deleted by Section 40 of U.P. Act No. 8 of 1963.
132. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
133. Word 'declaration' subs. By Section 41 of U.P. Act No. 8 of 1963.
134. Subs. by U.P. Land Laws (Amendment) Act No. 12 of 1965 (w.e.f. 8.3.1963).
135. Ins. by U.P. Land Laws (Amendment) Act No. 20 of 1982 (w.e.f. 10.11.1980).
136. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.
137. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
138. Subs. by Section 42 of U.P. Act No. 8 of 1963.
139. Subs. by U.P. Act No. 24 of 1956.
140. Subs. by Section 49 of U.P. Land Laws (Amendment) Act No. 12 of 1965 (w.e.f. 8.3.1963).
141. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
142. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991 (w.e.f. 19-2-1991).
143. Ins. by U.P. Act No. 30 of 1991 (w.e.f. 19-2-1991).
144. Added by Section 43 of U.P. Act No. 8 of 1963.
145. Ins. by U.P. Act No. 35 of 1976 (w.e.f. 15.6.1976).

146. Ins. by Section 3 of U.P. Act No. 31 of 1970 (w.e.f. 16-9-1970).
147. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.
148. Ins. by Section 44 of U.P. Act No. 8 of 1963.
149. Added by U.P. Act No. 38 of 1958.
150. Subs. by Section 45 of U.P. Act No. 8 of 1963.
151. Subs. by Section 45 of U.P. Act No. 8 of 1963.
152. Added by Act No. 38 of 1958.
153. Ins. by U.P. Section 47 of Land Laws (Amendment) Act No. 30 of 1975 for the words "may make rules" (w.e.f. 19.8.1975).
154. Subs. by U.P. Act No. 38 of 1958.
155. Subs. by Section 46 for "declaration" by U.P. Act No. 8 of 1963.
156. Subs. by U.P. Act No. 12 of 1965 (w.e.f. 11.6.1965)
157. Ins. by U.P. Act No. 35 of 1976 and shall be deemed always to have been inserted (w.e.f. 13.11.1976).
158. Subs. by Section 46 of U.P. Act No. 8 of 1963.
159. Subs. for sub-section (3), (4) and (5) by Section 47 of U.P. Act No. 30 of 1975.

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 (उ० प्र० अधिनियम सन् 1954)

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्ष प्रसार और प्रारम्भ- (1) इस अधिनियम का नाम " उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953" होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

¹[(3) यह धारा तुरंत प्रवृत्त² होगी और शेष अधिनियम ऐसी तारीख से, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त शासकीय राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, प्रवृत्त होगा और विभिन्न तारीखें उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों के लिए नियत की जा सकेंगी]।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1939 का निरसन -- उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम, 1939 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

3. परिभाषाएँ- विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में-

³[(1) "सहायक चकबन्दी अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करें ⁴[और इसके अन्तर्गत सहायक समकोणीय अधिकारी भी हैं];

⁵[(1-क) "चक" का तात्पर्य चकबंदी होने पर खातेदार की प्रदिष्ट भूमि के खण्ड से है];

⁶[(2) "चकबन्दी" का तात्पर्य एक कटक के जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है जिससे कि उनके अपने-अपने खाते अधिक संहत हो जायें];

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए जोत के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है-

(i) वह भूमि जो धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के ठीक पहले के कृषीय वर्ष में बाग थी;

(ii) वह भूमि जिसमें बाढ़ का पानी आया करता हो तथा जिसमें अत्यधिक कटाव होता हो;

(iii) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ० प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1951) की धारा 132 में उल्लिखित भूमि;

(iv) ऐसे संहत क्षेत्र जो सामान्यतः दीर्घकाल तक जल प्लावित रहते हों;

(v) ऊसर, कल्लर तथा रिहाला के गाटों में बना कोई संहत क्षेत्र, जिसमें उक्त क्षेत्र के अन्दर की कृषि भूमि भी है;

(vi) पान, गुलाब, बेला, चमेली तथा केवड़ा उपजाने के लिए प्रयुक्त भूमि; तथा

(vii) ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें चकबन्दी संचालक, चकबंदी के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त प्रख्यापित करें।

⁷[(2-क) "चकबंदी क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जिसके लिए धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी की जा चुकी हो, किन्तु इसमें इसके वे भाग सम्मिलित न होंगे जिन पर उत्तर प्रदेश के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) ⁸[या किसी अन्य विधि जिसके द्वारा जमींदारी प्रणाली समाप्त कर दी गयी हो] के उपबन्ध लागू न हों];

⁹[(2-कक) "चकबंदी समिति" का तात्पर्य उस समिति से है जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियत रीति से संगठित की जाए];

¹⁰[(2-ख) "चकबंदी लेखपाल" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी लेखपाल के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त

करे तथा चकबंदी क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम , 1901 (उ०प्र० अधिनियम सं० 3 वर्ष 1901)के अधीन नियुक्त लेखपाल भी इसके अन्तर्गत आते हैं];

¹¹[(3) “चकबन्दी अधिकारी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए, इस स्थिति में नियुक्त करे ¹²[और इसके अन्तर्गत समकोण अधिकारी भी हैं];

¹³[(3-क) “चकबन्दीकर्ता” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दीकर्ता के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए, इस स्थिति में, नियुक्त करे ¹⁴[और इसके अन्तर्गत समकोणीय तथा चकबंदी क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम , 1901 (उ०प्र० अधिनियम सं० 3 वर्ष 1901) के अधीन उक्त क्षेत्र के लिए नियुक्त राजस्व निरीक्षक भी है];

¹⁵[(3-ख) “चकबन्दी योजना” का तात्पर्य किसी कटक में चकबंदी की योजना से है];

¹⁶[(4) “चकबंदी संचालक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी संचालक के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे, और अतिरिक्त चकबन्दी संचालक तथा संयुक्त चकबंदी संचालक भी इसके अन्तर्गत हैं];

¹⁷[(4-क) “उप संचालक चकबंदी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार चकबंदी संचालक के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए, इस स्थिति में नियुक्त करे जो उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें तथा जिला उप संचालक चकबन्दी और सहायक संचालक चकबंदी भी इसके अंतर्गत हैं];

¹⁸[(4-ख) “जिला उप संचालक चकबंदी” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो तत्समय जिले का कलेक्टर हो];

¹⁹[(4-ग) “जोत” का तात्पर्य भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप से एक खाते के अधीन अधिकृत हों];

²⁰[(5) “भूमि” का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण तथा पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन और कुक्कुट पालन भी है) से संबद्ध प्रयोजनों के लिए हो और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं -

(i) जोत का वह भाग, जो मकान या अन्य समरूप रचना का स्थल हो; और

(ii) ऐसे पेड़, कुएं और अन्य समुन्नतियाँ जो उन गाटों में हों, जिनसे मिलकर जोत बनी हों];

(6) “विधिक प्रतिनिधि” का वही अर्थ है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम सं० 5 वर्ष 1908) में विधिक प्रतिनिधि का दिया गया है;

(7) “नियत” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है;

²¹[(8) किसी लेख्य के संबंध में “कटक के प्रकाशन” या “ कटक में प्रकाशित करना” का तात्पर्य डुग्गी पीटकर पूर्व सूचित दिनांक पर किसी कटक में उस लेख्य को पढ़कर सुनने तथा कटक में डुग्गी पीटकर अथवा अन्य किसी रूढिगत ढंग से इस तथ्य की घोषणा करने से है कि किसी निश्चित स्थान तथा समय पर वह लेख्य सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है]:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कटक के लिए चकबन्दी समिति संगठित हो गयी हो, तो उस समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रकाशन के तथ्य की अलग- अलग सूचना भी दी जाएगी;

²²[(8-क) “समकोण निर्माण” का तात्पर्य चकबन्दी के समय चकों के प्रदर्शन को विनियमित करने के उद्देश्य से कटक के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के समकोण चतुर्भुजों तथा ऐसे चतुर्भुज के भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया से है];

²³[(9) “बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अलावा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के

लिए, इस स्थिति में, नियुक्त करें तथा अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी एवं सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी भी इसके अंतर्गत हैं];

(10) “राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

²⁴[(11) “खातेदार” का तात्पर्य ²⁵[अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर या अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमि धर से है] और उसके अंतर्गत -

(क) असामी,

(ख) सरकारी पट्टेदार या सरकारी अनुदानगृहीता, या

(ग) सहकारी कृषि समिति जो ऐसी शर्तों को पूरा करती हो, जो नियत की जाए, भी है];

²⁶[(11-क) “कटक” का तात्पर्य ऐसे गाँव या उसके भाग से है, और यदि चकबन्दी संचालक सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा यह अधिसूचित करे तो, ऐसे दो या अधिक गाँव अथवा उनके भागों से है, जिसके या जिनके लिए चकबन्दी की एक ही योजना बनानी है];

(12) उन शब्दों और पदों के -

(क) जिनकी इस अधिनियम में परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु जो उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1901) में ²⁷[प्रयुक्त या] परिभाषित है, या

(ख) जो इस अधिनियम में या उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ०प्र० अधिनियम सं० 3 वर्ष 2001) में परिभाषित नहीं हैं , किन्तु जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) में ²⁸[प्रयुक्त या] परिभाषित हैं,

वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में दिये गये हैं जिनमें वे इस प्रकार ²⁹[प्रयुक्त या] परिभाषित हैं; [और]

³⁰[(13) उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) तथा उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1901) के सम्बन्ध में अभिदेश समय- समय पर यथा-संशोधित उक्त अधिनियम के सम्बन्ध में अभिदेश समझे जायेंगे]।

अध्याय-2

नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन

³¹[4. चकबन्दी के सम्बन्ध में प्रख्यापन तथा अधिसूचना - (1) (क) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई जिला या उसका भाग चकबन्दी क्रियाओं के अधीन लाया जाए, तो वह गजट में इस आशय का प्रख्यापन कर सकती है। तदुपरान्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी के लिए जो जिला उप संचालक चकबन्दी द्वारा तदर्थ अधिकृत किये जायें, यह विधिसंगत होगा कि, वह -

(i) उक्त क्षेत्र की किसी भूमि में, समकोण निर्माण के सम्बन्ध में या अन्यथा प्रवेश करे तथा उसका सर्वेक्षण करे और स्तर मालूम करे;

(ii) समकोण निर्माण के सम्बन्ध में खम्भे लगाये; और

(iii) चकबन्दी क्रियाओं के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करे।

(ख) जिला उप संचालक चकबन्दी खण्ड (क) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन की सार्वजनिक सूचना उक्त जिले या उसके भाग में सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवायेगा।

(2) (क) जब राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में चकबन्दी क्रियायें, आरम्भ करने का निश्चय करे, तो वह इस आशय की विज्ञप्ति जारी कर सकती है।

³²[(ख) प्रत्येक ऐसी विज्ञप्ति गजट में और ऐसे किसी दैनिक समाचार-पत्र में जिसका उक्त क्षेत्र में परिचालन हो प्रकाशित की जायेगी और उक्त क्षेत्र में प्रत्येक कटक में ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जायेगी जैसी समुचित समझी जाए]।

³³[4-क. (1) जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिले या उसके भाग की स्थिति में जिसके सम्बन्ध में धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, वहाँ वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसा जिला या उसका भाग फिर से चकबंदी क्रिया के अंतर्गत लाया जा सकता है]:

³⁴[परन्तु उक्त धारा में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के दिनांक से 20 वर्ष के भीतर ऐसी कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लोकहित में उक्त दिनांक से 10 वर्ष के बाद ऐसी घोषणा जारी कर सकेगी]।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति पर इस अधिनियम के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 4 के अधीन किसी विज्ञप्ति पर लागू होते हैं।

³⁵[5. धारा 4 (2) के अधीन विज्ञप्ति का प्रभाव]- (1) सरकारी गजट में ³⁶[धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन] विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से तथा धारा 52 के अधीन या धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, जैसी भी दशा हो, विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक ³⁷[धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति]से सम्बद्ध क्षेत्र में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे -

(क) जिला या उसका भाग, जैसी भी दशा हो, चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायेगा और अधिकार अभिलेख का रखरखाव तथा प्रत्येक गाँव के नक्शे, खसरे और वार्षिक रजिस्टर की तैयारी का कार्य जिला उप संचालक चकबन्दी करेगा, जो कि उनका रखरखाव या उनकी तैयारी, जैसी भी दशा हो, नियत रीति से करेगा;

(ख) [अधिनियम सं0 21 वर्ष 1966 (दिनांक 29-8-1966 से प्रभावी) द्वारा विलुप्त]

(ग) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी की लिखित पूर्व प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार -

(i) कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन, जिसमें मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से असम्बद्ध प्रयोजन के लिए अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा, या

(ii) [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 30 वर्ष 1991 की धारा विलुप्त (दिनांक 19-2-1991 से प्रभावी)]:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए कर सकता है, जिसके लिए ³⁸[धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन] जारी की गई विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से पहले वह उपयोग में लाया जा रहा था।

³⁹[(2) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति के उक्त प्रकाशन के फलस्वरूप विज्ञप्ति से सम्बद्ध क्षेत्र में निम्नलिखित और परिणाम होंगे अर्थात् -

(क) अभिलेखों के संशोधन की प्रत्येक कार्यवाही का तथा उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में अधिकारी या स्वत्व के प्रख्यापन के सम्बन्ध में प्रत्येक वाद और कार्यवाही का या ऐसे किसी अन्य अधिकार के जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती हो या की जानी चाहिए, प्रख्यापन या निर्णय के लिए प्रत्येक वाद या कार्यवाही का, जो प्रथम प्रार्थना किए जाने पर या अपील, अभिदेश सुनने वाले या पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, उस न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो, तदर्थ आदेश देने पर उपशमित हो जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश संबद्ध पक्ष को डाक से या अन्य किसी रीति से नोटिस दिये बिना और उनकी सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि उक्त क्षेत्र या उसके भाग के सम्बन्ध में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति जारी किये जाने पर, यथास्थित, ऐसे क्षेत्र या उसके भाग में स्थित भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसा आदेश रद्द हो जायेगा ;

(ख) ऐसे उपशमन से , उक्त वादों या कार्यवाहियों में विवादस्पद अधिकारों या स्वत्वों के प्रश्नों की , इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा उनके अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के समुचित चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा]।

⁴⁰[स्पष्टीकरण - उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ उ० प्र० अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (उ० प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1961) के अधीन कोई कार्यवाही या उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950(उ० प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1951) की धारा 134 से 137 के अधीन निर्विरोध कार्यवाही की किसी भूमि में अधिकार या स्वत्व की घोषणा के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं समझा जायेगा]।

6. धारा 4 के अंतर्गत ⁴¹[विज्ञप्ति] का रद्द करना - (1) राज्य सरकार के लिए वैध होगा कि वह समय धारा 4 के अंतर्गत प्रचारित ⁴²[विज्ञप्ति] को उसमें निर्दिष्ट समस्त क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में रद्द कर दे ।

⁴³[(2) जब उपधारा (1) के अधीन किसी कटक के सम्बन्ध में ⁴⁴[विज्ञप्ति] रद्द कर दी जाये, तो वह क्षेत्र , यदि कोई हो, उक्त रद्द करने के दिनांक पर या उससे पहले तथा भूमि अभिलेखों में संशोधन से सम्बद्ध , कोई अंतिम आज्ञा हो , तो उसके अधीन रहते हुए, रद्द करने के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अधीन न रह जायेगा] ।

⁴⁵[6- क. निर्विवाद उत्तराधिकार या अन्तरण के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध -- (1) धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 4-क के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् और धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले को चकबन्दीकर्ता द्वारा, और अन्तरण के आधार पर निर्विवाद नामान्तरण के मामले को सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा , ऐसी रीति से और ऐसी जाँच के पश्चात् , जैसी विहित की जाये, निपटाया जाएगा :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् इस धारा के अधीन किसी मामले को न तो ग्रहण किया जाएगा, न ही जारी रखा जाएगा या न ही निपटाया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश , धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को वर्जित नहीं करेगा]।

⁴⁶[7. गाँव के नक्शों का पुनरीक्षण -- कटक के प्रत्येक गाँव या उसके भाग के अभिलेखों के पुनरीक्षण को सरल बनाने के विचार से तथा यहाँ आगे दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिला उप संचालक चकबन्दी कटक की ⁴⁷[प्रारम्भिक चकबन्दी योजना] तैयार होने के पूर्व उस कटक के गाँव के नक्शों का पुनरीक्षण करवायेगा]।

⁴⁸[8- खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण - संयुक्त जोतों के मूल्यांकन और अंशों का अवधारण- (1) धारा 7 के अधीन नक्शों का पुनरीक्षण हो जाने पर जिला उप संचालक चकबन्दी आगे दिये हुये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और ऐसी रीति से, जो नियत की जाए -

(i) कटक के खसरों ,का खेतवार पड़ताल के पश्चात् और चालू वार्षिक रजिस्टर का उसके परीक्षण तथा उसकी जांच के पश्चात्, पुनरीक्षण करवायेगा।

(ii) चकबन्दी समिति के परामर्श से -

(क) प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन, उसकी उत्पादन शक्ति और स्थिति पर और यदि सिंचाई की कोई सुविधाएँ उपलब्ध हों, तो उन पर भी विचार करने के पश्चात् करायेगा; और

(ख) गाटों के सभी पेड़ों, कुंओं तथा अन्य समुच्चतियों का मूल्यांकन, उनका प्रतिकर आंकलित करने के प्रयोजनार्थ करायेगा;

(iii) यदि एक से अधिक स्वामी हों तो खण्ड (ii) के उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित मूल्य से प्रत्येक स्वामी का अंश निश्चित करवायेगा; और

(iv) उचित चकबन्दी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन करने के लिए संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का अंश अवधारित करायेगा।

(2) जिला उप संचालक चकबन्दी कटक के अन्तर्गत आने वाले गाटों के सम्बन्ध में नियत आकार में, खसरा चकबन्दी तैयार करवायेगा और एक ऐसा विवरण तैयार करवायेगा, जिसमें वे अशुद्धियाँ ⁴⁹[(उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले)]

तथा विवाद दिखाये जायेंगे, जो वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण तथा उसकी जाँच करते समय और खेतवार पड़ताल के दौरान ज्ञात हुए हों]।

50[8 -क. सिद्धान्तों का विवरण तैयार करना - (1) सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी समिति के परामर्श से चकबंदी क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के सम्बन्ध में एक विवरण (जिसे यहाँ आगे सिद्धान्तों का विवरण कहा गया है) नियत आकार में, तैयार करेगा जिसमें वे सिद्धान्त दिये गये होंगे, जिनका अनुसरण कटक में चकबंदी क्रियाओं के करने में किया जायेगा।

(2) सिद्धान्तों के विवरण में निम्नलिखित बातें भी होंगी -

(क) उन क्षेत्रों के ब्यौरे, जहाँ तक वे उस समय अवधारित किये जा सकें, जो आबादी के प्रसार, जिसके अंतर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की आबादी के लिए क्षेत्र भी हैं तथा ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए ,जो नियत किये जाएं, विनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ख) वह आधार जिस पर खातेदार आबादी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि देंगे; और

(ग) उस भूमि के ब्यौरे, जो उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) की धारा 117 या 117-क के अधीन ग्राम सभा या स्थानीय अधिकारिकी में निहित भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएगी];

51[(घ) प्रत्येक कटक के लिए मानक गाटा]।

52[(3) सहायक चकबंदी अधिकारी गाटा या गाटों की उत्पादकता , अवस्थिति और वर्तमान मिट्टी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए, चकबंदी समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से कटक के सर्वोत्तम गाटों का अभिनिश्चित करके उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट मानक गाटों का अवधारण करेगा]।

53[9. अभिलेखों तथा विवरणों से उद्धरण जारी करना और धारा 8 तथा 8-क में उल्लिखित अभिलेखों को प्रकाशित करना और आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करना - (1) धारा 8 तथा 8-क में उल्लिखित अभिलेखों तथा विवरणों के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबंदी अधिकारी -

(क) यदि कोई लिपिकीय अशुद्धियाँ हों तो उन्हें सही करेगा और सम्बद्ध खातेदारों तथा स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा , जिनमें चालू वार्षिक रजिस्टर और अन्य ऐसे अभिलेखों से , जो नियत किये जायें , सम्बद्ध उद्धरण हों और जिनसे निम्नलिखित बातें प्रकट हों -

(i) उनके भूमि में अधिकार और उसके सम्बन्ध में दायित्व ;

(ii) उसके सम्बन्ध में धारा 8 के अन्तर्गत पायी गयी अशुद्धियाँ ⁵⁴[(उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले) और विवाद ;

(iii) उचित चकबंदी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन आवश्यक होने पर उसके प्रयोजनार्थ संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का विशिष्ट अंश ;

(iv) गाटों का मूल्यांकन ; और

(v) पेड़ों , कुओं और अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आंकलित करने के लिए उनका मूल्यांकन तथा यदि उनके एक से अधिक स्वामी हों तो उसका अभिभाजन ;

(ख) चालू खसरा और चालू वार्षिक रजिस्टर, खसरा चकबंदी, धारा 8-क के अधीन तैयार किए गए सिद्धान्तों का विवरण तथा कोई अन्य अभिलेख, जो अन्य बातों के साथ-साथ खण्ड (क) में उल्लिखित अन्य ब्यौरे दिखाने के लिए नियत किये जायें , कटक में प्रकाशित करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजी गयी हो, या स्वत्व रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, नोटिस प्राप्त होने के या उपधारा (1) के अधीन प्रकाशन के 21 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है , जिनमें अभिलेखों या उसमें से लिये गये उद्धरणों के इन्दराजों की शुद्धता या

उनके प्रकार के सम्बन्ध में , या सिद्धान्तों के विवरण के सम्बन्ध में या विभाजन की आवश्यकता के संबंध में आपत्ति की गई हो]।

55[9-क भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण - (1) सहायक चकबंदी अधिकारी, उस दशा में -

(i) जहाँ भूमि पर दावों या संयुक्त जोतों के विभाजन के सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हों , तो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात्, और

(ii) जहाँ ऐसी कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत न की गयी हों , तो ऐसी जाँच करने के पश्चात् , जो वह आवश्यक समझे,

अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों में समझौता कराकर , जहाँ तक सम्भव हो , विवाद का निपटारा करेगा, अशुद्धियों को ठीक करेगा तथा विभाजन करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आज्ञाएँ पारित करेगा :

56[(किंतु प्रतिबंध यह है कि जहाँ सहायक चकबंदी अधिकारी का , ऐसी जाँच करने के पश्चात् , जैसा वह आवश्यक समझे , यह समाधान हो जाये कि उत्तराधिकार का मामला निर्विवाद है, वहां वह मामले का निस्तारण उसी जाँच के आधार पर करेगा]।

(2) वे सभी मामले जो उपधारा (1) के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा निस्तारित न किये गये हों , गाटों के मूल्यांकन से सम्बद्ध सभी मामले और वे सभी मामले , जिनका सम्बन्ध पेड़ों , कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आंकलित करने के लिए उनके मूल्यांकन तथा यदि एक से अधिक स्वामी हो तो उसको सह-स्वामियों में अभिभाजित करने से हो , सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा, चकबन्दी अधिकारी को भेजे जायेंगे, जो उनका निस्तारण नियत रीति से करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कार्य करता हुआ सहायक चकबन्दी अधिकारी और उपधारा (2) के अधीन कार्य करता हुआ चकबंदी अधिकारी तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी सक्षम न्यायालय माना जायेगा]।

57[9-ख. सिद्धान्तों के विवरण पर की गई आपत्तियों का निस्तारण - (1) जब धारा 9 के अधीन सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हों तो सहायक चकबन्दी अधिकारी संबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और चकबन्दी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा।

(2) यदि सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध, धारा 9 में नियत समय के भीतर , कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो तो उसकी शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी समिति को उचित सूचना देने के पश्चात् कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा और तत्पश्चात् वह सिद्धान्तों के विवरण में ऐसे परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है , जो वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (1) या (2) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति , उक्त आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर, बन्दोबस्त अधिकारी , चकबन्दी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

(4) आपत्ति या अपील पर निर्णय देने से पहले चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, संबद्ध पक्षों तथा चकबन्दी समिति को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा]।

58[9 - ग. संयुक्त जोतों का विभाजन - (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी , धारा 9-क के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं , भले ही 30 प्र0 जर्मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम ,

1950 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) की धारा 178 में या किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात दी गई हो , और वे उसका विभाजन स्वतः भी कर सकते हैं।

(2) संयुक्त जोतों का विभाजन अंशों के आधार पर किया जायेगा , किंतु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बद्ध खातेदार सहमत हों तो विभाजन विशिष्ट गाटों के आधार पर किया जा सकता है]।

59[10.पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार करना और रखना - (1) वार्षिक रजिस्टर धारा 9-क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन दी गई आज्ञाओं के आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा। तत्पश्चात् वह नियत आकार में तैयार किया जायेगा तथा कटक में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित वार्षिक रजिस्टर के किसी इन्द्राज का, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसरण में , परिष्कार किया जाये तो उस आज्ञा का निर्देश और उसके प्रवर्ती भाग का उद्धरण उक्त इन्द्राज के सामने दर्ज किया जायेगा]।

10 - क. [उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा विलुप्त]।

11 - ख. [उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा विलुप्त]।

60 [11. अपील - (1) धारा 9-क के अधीन होने वाली कार्यवाहियों का कोई पक्ष , जो उस धारा के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, उस आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी , चकबन्दी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है । उक्त अधिकारी संबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा, जो कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला बन्दोबस्त अधिकारी , चकबन्दी सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जायेगा, भले ही तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि में कोई विपरीत बातें दी गयी हों]।

61[11 - क. आपत्तियों पर रोक - चकबन्दी क्षेत्र से सम्बन्धित निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में -

(i) भूमि के दावे;

(ii) संयुक्त जोतों का विभाजन; और

(iii) यदि प्रश्न धारा 10 के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित गाटे के खातेदार या पेड़ों, कुओं या अन्य समुच्चतियों के स्वामी द्वारा उठाया जाए, तो गाटों, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुच्चतियों का मूल्यांकन ,

किसी भी ऐसे प्रश्न को, ⁶²[जो धारा 9 के अधीन उठाया गया हो या जो उक्त धारा के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था] ,परन्तु उठाया नहीं गया हो , चकबन्दी कार्यवाहियों की किसी वाद की अवस्था में न तो उठाया जायेगा और न उसकी सुनवाई की जायेगी] ।

11-ख [उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 द्वारा विलुप्त]।

63[11 -ग. धारा 9- क के अधीन किसी आपत्ति, या धारा 11 के अधीन अपील या धारा 48 के अधीन कार्यवाहियों की सुनवाई के दौरान चकबन्दी अधिकारी , बन्दोबस्त अधिकारी ,चकबन्दी या चकबन्दी निदेशक, जैसी भी दशा हो, यह निर्देश दे सकता है कि कोई भूमि जो राज्य सरकार या ग्राम सभा या किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में निहित हो, उसके नाम से अभिलिखित की जाए, भले ही ऐसी सरकार, ग्राम सभा, या निकाय या प्राधिकरण द्वारा कोई आपत्ति , अपील या पुनरीक्षण दाखिल न किया गया हो]।

⁶⁴[12. पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारों या स्वत्वों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बद्ध मामलों का निर्णय - (1) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों या स्वत्वों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बद्ध समस्त मामले, जिनके लिए वादकरण तब विद्यमान नहीं था, जब धारा 7 से 9 तक की कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गई थीं या चल रही थीं, उनके उत्पन्न होने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाये जा सकते हैं, किंतु धारा 52, या धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् नहीं।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई मामला उठाया जाए तो उसकी सुनवाई तथा निर्णय पर धारा 7 से 11 तक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उपर्युक्त धाराओं के अधीन उठाया गया मामला हो]।

⁶⁵[12-क. नई जोतों की मालगुजारी का अवधारण तथा जोतों के भाग पर राजस्व का वितरण - (1) उ0 प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 1 वर्ष 1951) में किसी बात के होते हुए भी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी इस सम्बन्ध में निर्मित नियमों के अधीन रहते हुए -

(क) इस अधिनियम ⁶⁶[***] के अधीन पारित आदेशों के फलस्वरूप खातेदार द्वारा अर्जित भूमि के अधिकारों के निमित्त देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित कर सकता है; तथा

(ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ खातेदार की जोत के भाग के निमित्त देय मालगुजारी भी अवधारित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित करने में उ0 प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0-1 वर्ष 1951) तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे]।

12 - ख. [अधिनियम सं0 8 वर्ष 1963 की धारा 16 द्वारा विलुप्त] ।

12 - ग. [अधिनियम सं0 8 वर्ष 1963 की धारा 16 द्वारा विलुप्त] ।

⁶⁷[12-घ. जोतों का समामेलन- धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित होने के पूर्व दो या अधिक खातेदार किसी भी समय चकबन्दी अधिकारी को समान भौमिक अधिकारों वाली अपनी जोतों को ऐसी शर्तों पर, जो आपस में तय हो, समामेलित करने के निमित्त प्रार्थना- पत्र दे सकते हैं। यदि प्रस्तावित समामेलन चकबन्दी के हित में हो, तो चकबन्दी अधिकारी उसे कार्यान्वित करेगा]।

अध्याय-3

चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना

13. [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 वर्ष 1963 द्वारा विलुप्त] ।

13-क. [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 वर्ष 1963 द्वारा विलुप्त] ।

13-ख. [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 वर्ष 1963 द्वारा विलुप्त] ।

13-ग. [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 वर्ष 1963 द्वारा विलुप्त] ।

13-घ. [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 वर्ष 1963 द्वारा विलुप्त] ।

14. [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 वर्ष 1963 द्वारा विलुप्त] ।

15. [उ0 प्र0 (संशोधन) अधिनियम सं0 38 वर्ष 1958 द्वारा विलुप्त]।

16. [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 वर्ष 1963 द्वारा विलुप्त] ।

16-क. [उ0 प्र0 (संशोधन) अधिनियम सं0 38 वर्ष 1958 द्वारा विलुप्त]।

16-ख. [उ0 प्र0 (संशोधन) अधिनियम सं0 38 वर्ष 1958 द्वारा विलुप्त]।

17. [उ० प्र० अधिनियम सं० ८ वर्ष १९६३ द्वारा विलुप्त] ।

18. [उ० प्र० अधिनियम सं० ८ वर्ष १९६३ द्वारा विलुप्त] ।

⁶⁸[19. चकबंदी योजना द्वारा शर्तों का पूरा किया जाना - (1) चकबंदी योजना निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगी, अर्थात् -

(क) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दिये गये अंशदानों के कारण की गई कटौतियाँ, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, खातेदार के अधिकार तथा दायित्व, जैसे कि वे धारा 10 के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित हों, उसे (खातेदार को) प्रदिष्ट भूमियों में सुरक्षित रहें ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिये गये अंशदानों के कारण की गई कटौतियाँ, यदि कोई हों के अधीन रहते हुए, खातेदार को प्रदिष्ट गाटों का मूल्यांकन उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों के मूल्यांकन के बराबर हो ; किंतु प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय उस दशा के जब चकबंदी संचालक ने तदर्थ अनुज्ञा दे दी हो, खातेदार को प्रदिष्ट जोत या जोतों के क्षेत्रफल और उसकी मूल जोत या जोतों के क्षेत्रफल का अन्तर 25 प्रतिशत से अधिक न होगा ;

(ग) इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित प्रतिकर निम्नवत् दिया जाए -

(1) खातेदार को -

(i) उन पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिए, जो उसके द्वारा मूलतः धृत थे और जो दूसरे खातेदार को प्रदिष्ट कर दिये गये हों; और

(ii) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उसके द्वारा दी गयी भूमि के लिए ;

(2) यथास्थिति, ग्राम सभा या किसी अन्य स्थानीय, प्राधिकारी को ऐसी समुन्नतियों के लिए, यदि कोई हो, जो उसने उस भूमि पर की हो, जो उसकी हो और किसी खातेदार को प्रदिष्ट कर दी गई हो ;

(घ) सिद्धांतों के विवरण में दिये गये सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाए;

(ङ) प्रत्येक खातेदार को, यथासंभव, उस स्थान पर जहाँ उसके पास अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग हो, संहत क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाए ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उप-संचालक, चकबंदी के लिखित अनुमोदन के बिना किसी खातेदार को तीन से अधिक चक प्रदिष्ट नहीं किये जा सकते ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी चकबंदी केवल इसलिए अवैध न मानी जाएगी कि किसी खातेदार के पास प्रदिष्ट चक तीन से अधिक हैं ;

(च) प्रत्येक खातेदार को, यथा-संभव, वह गाटा प्रदिष्ट किया जाए, जिसमें उसका सिंचाई का निजी साधन या कोई अन्य समुन्नति विद्यमान हो और साथ में उसके निकट का ऐसा क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाए, जिसका मूल्यांकन लगभग उतना ही हो, जितना कि वहाँ पर उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों का था; और

(छ) प्रत्येक खातेदार को, यथा-संभव, समकोण निर्माण कटकों में समकोण निर्माण की प्रक्रिया के अनुकूल चक प्रदिष्ट किये जायें।

(2) कोई भी चकबंदी-योजना, धारा 23 के अधीन उसे अन्तिम रूप दिये जाने के पूर्व, धारा 19-क के पूर्व, उपबन्धों के अनुसार प्रारंभिक रूप से तैयार की जाएगी]।

⁶⁹[19-क. सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक चकबंदी-योजना का तैयार किया जाना- (1) सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से, नियत आकार में, कटक के लिए प्रारम्भिक चकबंदी योजना तैयार करेगा।

(2) इस अधिनियम में या 1951 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए, जहाँ उसकी राय में ऐसा

करना आवश्यक या इष्टकर हो, यह विधिसंगत होगा कि वह मूल्यांकन करने के पश्चात् कोई भी भूमि, जो ⁷⁰[(राज्य सरकार की हो या कोई भी भूमि जो)] 1951 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 1 सन् 1951) की धारा 117 या 117-क के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के फलस्वरूप ग्राम सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो, किसी भी खातेदार को प्रदिष्ट करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी कोई भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती हो, तो वह भूमि सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में यह प्रख्यापन करने के पश्चात् ही प्रदिष्ट की जाएगी कि सार्वजनिक तथा समस्त व्यक्ति विशेषों के उस भूमि में या उस पर अधिकारों को किसी अन्य भूमि में जो प्रख्यापन में निर्दिष्ट हो और जो उक्त प्रयोजन के लिए प्रारम्भिक चकबंदी योजना में विनिर्दिष्ट हो, संक्रमित करने का प्रस्ताव है]।

⁷¹[20. प्रारंभिक चकबंदी योजना का प्रकाशित किया जाना और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्राप्त करना- (1) प्रारंभिक चकबंदी योजना के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबंदी अधिकारी, सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा, जिनमें उक्त योजना से लिए गये संबद्ध उद्धरण दिये होंगे। तत्पश्चात् प्रारंभिक चकबंदी योजना कटक में प्रकाशित की जाएगी।

(2) धारा 11-क में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजा गयी हो, और प्रारंभिक चकबंदी योजना से प्रभावित कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रारंभिक चकबंदी योजना की प्रविष्टियों या उससे लिये गये उद्धरणों के औचित्य या शुद्धता पर आपत्ति करे, यथास्थिति, नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से या प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर, सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(3) कोई भी प्रभावित व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या उस पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो, या ऐसा अन्य स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो, जिस पर धारा 19-क की उपधारा (2) के अधीन किये गये प्रख्यापन से स्वतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष, यह बताते हुए, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है कि उस स्वत्व का अधिकार किस प्रकार का है]।

21. कथन पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण - ⁷²[(1) सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियाँ तदर्थ नियत कालावधि की समाप्ति के पश्चात् उसके द्वारा चकबंदी अधिकारी के पास भेज दी जाएंगी, जो कि एतस्मिन्-पश्चात् व्यवस्थित रीति से संबद्ध पक्षकारों तथा चकबंदी समिति को नोटिस देने के पश्चात् उन्हें और साथ- ही -साथ अपने को प्राप्त आपत्तियों को भी निस्तारित करेगा]।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से ⁷³[15] दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका इस सम्बन्ध में निर्णय, सिवाय उस दशा में जबकि अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम में, अन्यथा व्यवस्था हो, अंतिम होगा।

⁷⁴[(3) प्रारंभिक चकबंदी योजना पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण - आपत्तियाँ निर्णीत करने से पहले चकबंदी अधिकारी संबद्ध पक्षों तथा चकबंदी समिति को नोटिस देने के पश्चात् विवादग्रस्त गाटों का स्थानीय निरीक्षण करेगा तथा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी भी अपील निर्णीत करने से पहले ऐसा कर सकता है ।

(4) यदि किसी आपत्ति के निस्तारण या अपील की सुनवाई के दौरान, यथास्थिति, चकबंदी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी की यह राय हो कि, यथास्थिति, सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा तैयार की गई या बाद में चकबंदी अधिकारी द्वारा परिष्कृत की गई प्रारंभिक चकबंदी योजना के कार्यान्वयन से बहुत से खातेदारों के साथ सारतः अन्याय होने की सम्भावना है, और प्रारंभिक चकबंदी योजना का पुनरीक्षण किये बिना अथवा नई प्रारंभिक चकबंदी योजना

तैयार किये बिना कटकों के खातेदारों को भूमि का ठीक और उचित प्रदेशन संभव नहीं है, तो उन कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा -

- (i) चकबंदी अधिकारी के लिए यह वैध होगा कि वह संबद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारंभिक चकबंदी योजना का पुनरीक्षण करे या उसे ऐसे निर्देशों सहित, जिन्हें चकबंदी अधिकारी आवश्यक समझे, सहायक चकबंदी अधिकारी को वापस कर दे; और
- (ii) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी के लिए यह वैध होगा कि वह संबद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारंभिक चकबंदी योजना का पुनरीक्षण करे या उसे सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी को, जैसा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी उचित समझे, ऐसे निर्देशों के साथ वापस कर दे, जिन्हें वह आवश्यक समझे]

(5) [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 वर्ष 1963 की धारा 22 द्वारा विलुप्त]।

(6) [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 वर्ष 1963 की धारा 22 द्वारा विलुप्त]।

22. [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 वर्ष 1963 की धारा 23 द्वारा विलुप्त]।

⁷⁵[23. प्रारंभिक चकबंदी योजना की पुष्टि तथा प्रदेशन आदेशों का जारी किया जाना -

(1) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी प्रारंभिक चकबंदी योजना की पुष्टि करेगा -

(क) यदि धारा 20 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत न की गई हों; या

(ख) यदि उक्त आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हों, तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो धारा 21 की उपधारा (1) से (4) तक के अधीन दिए गए आदेशों की दृष्टि में रखते हुए आवश्यक हो।

(2) इस प्रकार पुष्टिकृत प्रारंभिक चकबंदी योजना कटक में प्रकाशित की जायेगी तथा इस अधिनियम में या इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए अंतिम होगी।

(3) (i) यदि धारा 19-क के अधीन किये गये प्रदेशनों को धारा 21 के अधीन परिष्कृत न किया जाए और उपधारा (1) के अधीन उनकी पुष्टि कर दी जाए, तो धारा 20 के अधीन जारी की गई नोटिस में दिये गये उद्धरणों को संबद्ध खातेदारों के लिए इस ⁷⁶[अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए] अंतिम प्रदेशन आदेश समझा जाएगा।

(ii) खण्ड (i) के अधीन न आने वाले मामलों में पुनरीक्षित उद्धरण जिनमें उपधारा (1) के अधीन यथा पुष्टिकृत परिष्कृत प्रदेशन उल्लिखित होंगे -

(क) यदि प्रदेशन बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी द्वारा परिष्कृत न किये गये हों, तो चकबंदी अधिकारी द्वारा; और

(ख) यदि बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी ने प्रदेशनों का परिष्कार किया हो, तो उनके द्वारा जारी किये जायेंगे, और वे संबद्ध खातेदारों के लिए ⁷⁷[इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए] अंतिम प्रदेशन आदेश होगा ।

अध्याय 4

योजना का लागू किया जाना

⁷⁸[24. कब्जा और पेड़ों आदि के लिए प्रतिकर का दायित्व - (1) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी वह दिनांक निश्चित करेगा जो कटक में अधिसूचित होगा, तथा जिस दिनांक से ⁷⁹[अंतिम चकबंदी योजना] प्रचलित होगी, उक्त दिनांक को तथा उसके पश्चात् खातेदारों को प्रदिष्ट गाटों पर कब्जा करने का अधिकार होगा ।

(2) ⁸⁰[अंतिम चकबंदी योजना] के कार्यान्वयन के अनुसरण में उसको प्रदिष्ट गाटों में स्थित पेड़ों, कुंओं तथा अन्य समुच्चतियों को पाने वाला प्रत्येक खातेदार कब्जा पाने के दिनांक से उसके भूतपूर्व खातेदार को पेड़ों, कुंओं तथा अन्य समुच्चतियों के लिए, जो उसे प्रदिष्ट की गयी हों, वहाँ पूर्व व्यवस्थित रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा और देगा]।

25. [उ0 प्र0 (संशोधन) अधिनियम सं0 38 वर्ष 1958 द्वारा निरस्त]

26. [उ0 प्र0 (संशोधन) अधिनियम सं0 38 वर्ष 1958 द्वारा निरस्त]

26-क. [उ0 प्र0 (संशोधन) अधिनियम सं0 38 वर्ष 1958 द्वारा निरस्त]

27. नये राजस्व अभिलेख - ⁸¹[(1) अंतिम चकबंदी योजना के प्रचलित होने के पश्चात् यथा-संभव, शीघ्र जिला उपसंचालक चकबंदी धारा 7 के अधीन यथा-संशोधित नक्शों, खसरा चकबंदी तथा धारा 10 के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टियों और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अंतिम रूप से दिए गये तथा जारी किए गए प्रदेशन आज्ञाओं आदेशों के आधार पर प्रत्येक गाँव के लिए चकबंदी क्षेत्र का नया नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार कराएगा। उक्त नक्शों और अभिलेखों को तैयार करने में उ0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, वर्ष 1901) के उपबन्धों का ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, जो नियत किये जाएं, अनुसरण किया जाएगा]।

⁸²[(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये अधिकार अभिलेखों की सभी प्रविष्टियाँ ठीक मानी जायेंगी जब तक उनके विरुद्ध प्रमाणित न कर दिया जाए।

(3) धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात्, कलेक्टर अपने द्वारा पहले से रखा जाने वाले नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख के स्थान पर उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार तैयार किये गये नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख रखेगा ⁸³[और उ0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1901) के उपबन्ध ऐसे नक्शे, खसरा और अधिकार अभिलेख के रखे जाने और शुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे]।

⁸⁴[28. कब्जा दिलाना - (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, ऐसे खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति के प्रार्थना-पत्र पर, जिसे अंतिम चकबन्दी योजना के अन्तर्गत चक या भूमियाँ प्रदिष्ट की गई हों ⁸⁵[और जहाँ कोई भूमि राज्य सरकार को प्रदिष्ट की गई हो, वहाँ राज्य सरकार के किसी प्रार्थना-पत्र के बिना, उस दिनांक से, जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो, छः माह के भीतर, यथास्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति या राज्य सरकार को प्रदिष्ट चक या भूमि का वास्तविक कब्जा दिलायेगा] और ऐसा करने में उसे वे सभी अधिकार, जिनमें अवमान, प्रतिरोध तथा ऐसी अन्य बातों के सम्बन्ध में अधिकार भी हैं, प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग अचल सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने की डिक्री के निष्पादन में सिविल न्यायालय कर सकते हैं :

किंतु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि सहायक चकबन्दी अधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायें, यह निर्णय न करे कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जायेगा, उपर्युक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रमित किया गया हो, कब्जा दिलाने के दिनांक पर उक्त चक या भूमियों या उनके भाग पर खड़ी फसलों के पालन-पोषण और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कोई व्यक्ति प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार खड़ी फसलों का पालन-पोषण करे तथा उसे एकत्र करे तो वह उस व्यक्ति को जिसे चक या भूमियाँ प्रदिष्ट की गई हों, भूमि के प्रयोग के लिये ऐसी दर पर और ऐसी रीति से प्रतिकर देगा, जो नियत की जाए।

(2) जिस दिनांक को खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति, ⁸⁶[या राज्य सरकार] प्रदिष्ट चक या भूमियों पर कब्जा करने की हकदार हो गई हो, चाहे उ0 प्र0 जोत चकबंदी (संशोधन) अधिनियम, 1962 के प्रचलित होने के पूर्व हो या उसके पश्चात् उसके 6 मास समाप्त हो जाने पर या उक्त अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से 6 मास समाप्त होने

पर, जो भी दिनांक बाद में पड़े, यथास्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति ⁸⁷[या राज्य सरकार] के सम्बन्ध में, जब तक कब्जा पहले से ही न कर लिया गया हो, यह समझा जायेगा कि उसने प्रदिष्ट चक्र या भूमियों पर वास्तविक रूप से कब्जा कर लिया है :

किंतु प्रतिबन्ध यह है कि यह तथ्य कि खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति ⁸⁸[या राज्य सरकार] ने इस प्रकार कब्जा कर लिया है और उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रमित किया गया समझा जाए, उपर्युक्त 6 मास की अवधि समाप्त हो जाने के दिनांक को ऐसे चक्र या भूमियों या उसके भाग पर खड़ी फसल के पालन-पोषण और उसे एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा] ।

⁸⁹[29. प्रतिकर - (1) यदि धारा 28 के अधीन खड़ी फसलों पर भी कब्जा दिलाया जाए, तो सहायक चक्रबंदी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा, जिसे कब्जा दिलाया गया हो, ऐसी फसलों के सम्बन्ध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा ⁹⁰[***]]

⁹¹[(1-क) उपधारा (1) के अधीन आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश के दिनांक से 15 दिन के भीतर, चक्रबंदी अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24 वर्ष 1956 (दिनांक 3-7-1956 से प्रभावी) द्वारा निरस्त] ।

(3) [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24 वर्ष 1956 (दिनांक 3-7-1956 से प्रभावी) द्वारा निरस्त] ।

⁹²[29-क. प्रतिकर की वसूली - (1) जहाँ कोई खातेदार, जिससे इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर की वसूली होना हो, तदर्थ नियत अवधि के भीतर प्रतिकर न दे, तो उसके पाने का अधिकारी व्यक्ति वसूली के लिए उसे उपलब्ध अन्य किसी साधन के साथ-साथ कलेक्टर को ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाए, इस आशय का प्रार्थना पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से प्राप्त धनराशि सरकार को देय मालगुजारी की बकाया की भाँति वसूल की जाए।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर ⁹³[धारा 24 या धारा 28 के अधीन जैसी भी स्थिति हो, कब्जा पाने] के दिनांक से 3 महीने के भीतर पूर्णतः या अंशतः अदा न किया गया हो, तो ऐसी धनराशि पर, जो इस प्रकार अदा की गई हो, 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जायेगा]।

⁹⁴[29-कक. सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि दिये जाने के कारण मालगुजारी में कमी - (1) यदि धारा 8-क के उपबंधों के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अंशदान में भूमि दिये जाने के फलस्वरूप खातेदार की मूल जोत का क्षेत्रफल कम हो जाए, तो उक्त जोत के लिए देय मालगुजारी को सहायक चक्रबंदी अधिकारी द्वारा उस अनुपात में कम कर दिया जाएगा जो अंशदान के रूप में दिये गये क्षेत्र का उक्त जोत के कुछ क्षेत्रफल से हो और कम हुई मालगुजारी प्रारम्भिक चक्रबंदी योजना में दिखाई जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई कमी से क्षुब्ध कोई खातेदार धारा 20 के अधीन प्रारंभिक चक्रबंदी योजना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर उ0 प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1951) के उपबन्धों के अनुसार मालगुजारी में कमी अवधारित किये जाने के लिए सहायक चक्रबंदी अधिकारी या चक्रबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है]।

⁹⁵[29-ख. सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातेदारों द्वारा दी गयी भूमि के लिए प्रतिकर -- (1) (क) प्रत्येक खातेदार को, जिसकी जोत का कोई भाग इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिया गया हो, इस प्रकार दी गई भूमि के लिए प्रतिकर दिया जायेगा जो धारा 29-कक अधीन कम किए गए मालगुजारी का --

(i) ⁹⁶ [अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर] की भूमि के विषय में चार गुना ; और

(ii) ⁹⁷ [अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर] की भूमि के विषय में दो गुना होगा।

(ख) इस प्रकार दी गयी भूमि के भीतर पड़ने वाले पेड़ों, कुंओं तथा अन्य समुन्नतियों के विषय में प्रतिकर की धनराशि धारा 19 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(2) किसी खातेदार को देय प्रतिकर का भुगतान, इस अधिनियम के अधीन क्रिया सम्बन्धी व्यय को, यदि कोई हो, काटने के पश्चात् नकदी में किया जायेगा।

(3) जब कोई भूमि, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाए, किसी असामी के कब्जे में हो, तो यथास्थिति, ⁹⁸[अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर या अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर] को देय प्रतिकर में से उसका 5 प्रतिशत असामी को, उस भूमि में उसके अधिकार, आगम तथा स्वत्व के सम्बन्ध में दिया जायेगा।

⁹⁹[29-ग. सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि का निहित होना - ¹⁰⁰[(1) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि, उस दिनांक से, जब खातेदार समय-समय पर यथा-संशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उन्हें प्रदिष्ट चकों पर कब्जा करने के हकदार हुए हों, ¹⁰¹[किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ० प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1951) की धारा 117 लागू होती हो, ग्राम सभा में, और किसी अन्य क्षेत्र में राज्य सरकार में] निहित होगी और सदैव निहित हुई समझी जाएगी और उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होगी, जिसके लिए वह अन्तिम चकबन्दी योजना में विनिर्दिष्ट की गयी थी अथवा उक्त प्रयोजन के न रहने की दशा में ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होगी, जो नियत किये जायें]।

¹⁰²[(2) उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ० प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1951) की धारा 117 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ¹⁰³[ग्राम सभा में निहित] ऐसी भूमि पर लागू होंगे, मानो कि ऐसी भूमि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के आधार पर ग्राम सभा में निहित हो गई थी और मानो कि घोषणा इस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपयोगिता की शर्तों के अधीन रहते हुए की गई थी]।

(3) [उ० प्र० अधिनियम सं० 21 वर्ष 1966 की धारा 3 द्वारा (दिनांक 26-8-1966 से प्रभावी) द्वारा निरस्त]

¹⁰⁴[30. वे परिणाम जो कब्जा बदलने पर होंगे - उस दिनांक से जब इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कोई खातेदार अपने को प्रदिष्ट चक पर कब्जा करता है या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाए कि उसने कब्जा कर लिया है, निम्नलिखित परिणाम होंगे -

(क) निम्नलिखित के अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व अपनी-अपनी मूल जोतों में समाप्त हो जायेंगे-

(i) वह खातेदार, जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाए कि उसने कब्जा कर लिया है; और

(ii) चक में सम्मिलित गाटों का पूर्ववर्ती खातेदार; और

(ख) वह खातेदार, जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाए कि उसने कब्जा कर लिया है, अपने चक में वही अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व होंगे, जो उसकी अपनी मूल जोत में थे और उसे ऐसे निजी स्रोत से, जब तक कि वह स्रोत विद्यमान रहे, सिंचाई की वह अन्य सुविधाएं भी प्राप्त रहेंगी, जो चक में सम्मिलित गाटों के पूर्ववर्ती खातेदार को उन गाटों के सम्बन्ध में प्राप्त थीं ;

(ग) उन भूमियों के सम्बन्ध में जो ग्राम सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हों और जो खातेदार को प्रदिष्ट की गयी हों, यह समझा जाएगा कि वे राज्य सरकार द्वारा उ० प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ० प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1951) की, यथास्थिति, धारा 117 या 117-क के उपबन्धों के अधीन वापस ले ली गयी है और उनका बन्दोबस्त खातेदार के साथ कर दिया गया है ;

(घ) धारा 19-क की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किये गये प्रख्यापन के बाद, चक में सम्मिलित भूमि में या भूमि पर जन-साधारण तथा सभी व्यक्ति विशेषों के अधिकार समाप्त हो जायेंगे और वे अन्तिम चकबन्दी योजना में इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट भूमि में सृजित हो जायेंगे; और

(ङ) वह खातेदार, जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाए कि उसने कब्जा कर लिया है, मूल जोत पर भार, यदि कोई हो, चाहे वह पट्टा, बंधक या अन्य किसी रूप में हो, उस जोत के सम्बन्ध में समाप्त हो जाएगा और वह उन जोतों पर या उनके ऐसे भागों पर हो जायेगा जो अन्तिम चकबन्दी योजना में उसे निर्दिष्ट किया जाए]।

31. [उ० प्र० अधिनियम सं० ८ वर्ष १९६३ की धारा ३३ द्वारा निरस्त]।

¹⁰⁵[**32. जोत को हस्तान्तरित करने का अधिकार -** उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, १९०१ (उ० प्र० अधिनियम सं० ३ वर्ष १९०१) और उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० (उ० प्र० अधिनियम सं० १ वर्ष १९५१) में किसी बात के होते हुए भी, खातेदारों का अपनी जोतों में अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्वों का ऐसा संक्रमण, चाहे वह विनिमय द्वारा हो या अन्य प्रकार से, जो उन्हें प्रभावित करने वाली अन्तिम चकबन्दी योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्गुप्त हो, वैध होगा और किसी खातेदार या अन्य व्यक्ति को ऐसे संक्रमण पर आपत्ति करने अथवा उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा]।

¹⁰⁶[**33. व्यय -** ¹⁰⁷[(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन संचालित क्रियाओं के व्यय की रकम निश्चित करेगी और कटक के खातेदार से उसका ऐसा भाग और ऐसी रीति से वसूल करेगी जो नियत की जाए]।

¹⁰⁸[(२) यदि राज्य सरकार निर्णय करे, तो वह आदेश दे सकती है कि ¹⁰⁹[उक्त क्रियाओं] के व्यय की प्रथम किश्त के रूप में कोई निर्दिष्ट धनराशि नियत रीति से अग्रिम वसूल की जाए]।

(३) इस धारा के अधीन व्यय, देय धनराशि मालगुजारी की बकाया की भाँति वसूल की जाएगी]।

34. [उ० प्र० अधिनियम सं० ८ वर्ष १९६३ द्वारा निरस्त]।

35. [उ० प्र० अधिनियम सं० ८ वर्ष १९६३ द्वारा निरस्त]।

36. [उ० प्र० अधिनियम सं० ३८ वर्ष १९५८ द्वारा निरस्त]।

36-क. [उ० प्र० अधिनियम सं० ३८ वर्ष १९५८ द्वारा निरस्त]।

अध्याय ५

प्रकीर्ण

37- [उ० प्र० अधिनियम सं० ३८ वर्ष १९५८ द्वारा निरस्त]।

38. साक्षियों को उपस्थित कराने तथा अन्य विषयों के अधिकार - (१) निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में ¹¹⁰[चकबन्दी संचालक, उप संचालक चकबन्दी], बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे सब अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार में निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं -

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और उनको शपथ देकर, प्रतिज्ञान कराके या अन्य प्रकार से उनसे बयान लेना और विदेशस्थ साक्षियों का बयान लेने के लिए कमीशन या निवेदन-पत्र जारी करना;

(ख) किसी को कोई लेख्य प्रस्तुत करने को बाध्य करना;

(ग) अपमान के लिए लोगों को दण्ड देना और किसी भी व्यवहार में साक्षियों को उपस्थित और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिए सिविल न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाली किसी भी औपचारिक प्रक्रिया के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ समन भेजा जा सकता है और वह उक्त औपचारिक प्रक्रिया के बराबर ही समझी जायेगी।

(२) [उ० प्र० अधिनियम सं० ३८ वर्ष १९५८ द्वारा निरस्त]।

39. लेख्य इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार - (१) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों या निरोधों को बाधित न करते हुए ¹¹¹[चकबन्दी संचालक, उप संचालक चकबन्दी], बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह ऐसे लेख्य, पत्र और रजिस्टर

प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जिसे वे इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या कर्तव्यों का उचित पालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायेगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 175 एवं 176 के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य है।

40. बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी ; चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाही माना जाना - किसी ¹¹²[चकबन्दी संचालक, उप संचालक चकबन्दी], बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी; चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 193 और 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही है।

41. उ0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1901 का लागू किया जाना - जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्य प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था न की गई हो, उ0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1901) के अध्याय 9 तथा 10 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे, जिनके अंतर्गत अपील और आवेदन- पत्र भी हैं।

¹¹³[**41-क. शपथ-पत्र -** इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, जिसके अन्तर्गत कोई अपील या पुनरीक्षण भी है, प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र उसी रीति से और उन्ही अपेक्षाओं के अनुरूप दिये जायेंगे, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम सं0 5 वर्ष 1908) के अधीन कोई शपथ- पत्र दिया जाता है और उसका सत्यापन उक्त संहिता की धारा 139 के खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा खण्ड (ग) के अधीन किसी अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा]।

¹¹⁴[**42. अधिकारी और प्राधिकारी -** ¹¹⁵[(1) राज्य-सरकार ऐसे क्षेत्रों में ऐसे प्राधिकारी तथा अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों]।

(2) जिला उप संचालक चकबन्दी ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो समय-समय पर चकबन्दी संचालक द्वारा जारी किये जाएं, चकबन्दी लेखपालों, चकबन्दीकर्ताओं तथा उपधारा (1) के अधीन जिले के लिए नियुक्त अन्य प्राधिकारियों के हल्कों का परिच्छेदन कर सकता है]।

¹¹⁶[**42-क. लिपिकीय या गणना सम्बन्धी भूलों की शुद्धि -** तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि चकबन्दी अधिकारी अथवा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को यह संतोष हो जाय कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन तैयार किये गये किसी लेख्य में कोई लिपिकीय या गणना सम्बन्धी भूल प्रत्यक्ष है, तो वह या तो स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रार्थना- पत्र पर उसको शुद्ध कर देगा]।

43. [उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 वर्ष 1963 की धारा 38 द्वारा निरस्त]।

¹¹⁷[**44. प्रतिनिधान -** राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले निरोधों और प्रतिबन्धों के अध्याधीन :

(i) इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कोई अधिकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकती है; और

(2) इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन चकबन्दी संचालक, उप संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी; चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों को किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्रदान कर सकती है]।

¹¹⁸[**44- क. उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग -**

जब इस अधिनियम के अधीन या तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी को अधिकारों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करना हो, तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है]।

45. सीमांकन तथा परिच्छेद के प्रयोजनों के लिए भूमि पर प्रवेश करने की अधिकारियों की शक्ति - इस अधिनियम में उल्लिखित अधिकारी या उनके आदेशों के अधीन कार्य करने वाले कोई व्यक्ति या उनमें से कोई एक इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य के पालन में भूमि पर प्रवेश कर सकता है, उसका सर्वेक्षण कर सकता है, उस पर सर्वेक्षण के चिन्ह बना सकता है तथा उसकी सीमाओं का सीमांकन कर सकता है और अन्य ऐसे सभी कार्य कर सकता है जो उस कर्तव्य का उचित पालन करने के लिए आवश्यक हों।

¹¹⁹[**45-क. धारा 5 के प्राधानों का उल्लंघन करने का दण्ड - (1)** जो व्यक्ति धारा 5(1) (ग) (i) के प्राधानों का उल्लंघन करेगा, वह किसी सक्षम अधिकारिता युक्त न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर, ऐसे जुर्माने का दायी होगा जो 1,000 रु0 से अधिक न हो।

(2) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी धारा 5(1)(ग) (ii) के प्राधानों के प्रतिकूल संक्रमण वैध अथवा मान्य न होगा]।

46. सर्वेक्षण ¹²⁰[या सीमा] चिन्हों को नष्ट करने, हानि पहुँचाने या हटाने के सम्बन्ध में दण्ड - (1) यदि कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्मित किसी सर्वेक्षण ¹²¹[या सीमा] चिन्ह को बिना विधिक अधिकार के जानबूझकर नष्ट करे या हानि पहुँचाये या हटाये तो चकबन्दी अधिकारी उसे प्रतिकर की ऐसी धनराशि के भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जो इस प्रकार से नष्ट किये गये, हानि पहुँचाये गये या हटाये गये प्रत्येक चिन्ह के लिए ¹²²[एक हजार रुपये] से अधिक न होगी और जो उस अधिकारी के मतानुसार उक्त चिन्ह को पूर्व दशा में लाने के व्यय को पूरा करने तथा उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने नष्ट किये जाने, हानि पहुँचाये जाने की सूचना दी हो, पारितोषिक देने के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर देने के लिए दिया गया कोई आज्ञा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 434 के अधीन अभियोजन में बाधक न होगी।

47. अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अपीलें आदि - इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण के निमित्त आवेदन-पत्र न प्रस्तुत किया जा सकेगा, जब तक कि इस सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा कोई व्यवस्था न की गई हो।

¹²³[**48. पुनरीक्षण और निर्देश - (1)** चकबन्दी संचालक, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गई किसी कार्यवाही का अभिलेख, उस कार्यवाही की नियमितता के विषय में या उस मामले या कार्यवाही में उस प्राधिकारी द्वारा दी गई ¹²⁴[अर्न्तवर्ती आज्ञा से भिन्न] किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मँग सकता है और उसकी जाँच करा सकता है और सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस मामले या कार्यवाही में ऐसा आदेश दे सकता है, जो वह उचित समझे।

(2) चकबन्दी संचालक द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग उपधारा (3) के अधीन निर्देश किये जाने पर भी किया जा सकता है।

(3) चकबन्दी संचालक के अधीनस्थ कोई प्राधिकारी, सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही के लिए चकबन्दी संचालक को अभिदिष्ट कर सकता है।

¹²⁵[स्पष्टीकरण ¹²⁶[1]- इस धारा के प्रयोजनों के लिए बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता और चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दी संचालक के अधीन होंगे]।

¹²⁷[स्पष्टीकरण 2 - इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द 'अन्तर्वर्ती आदेश' का अर्थ किसी मामले या कार्यवाही के सम्बन्ध में ऐसा आदेश होगा जो कि ऐसे मामले या कार्यवाही या उससे साम्प्रार्थिक किसी ऐसे विषय का विनिश्चय करें, जिसका प्रभाव ऐसे मामले या कार्यवाही के अन्तिम निस्तारण का न हो।]

¹²⁸[स्पष्टीकरण 3 - इस धारा के अधीन किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के परीक्षण करने के अधिकार में कोई निष्कर्ष, चाहे वह किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित तथ्य का हो या विधि का हो, सम्मिलित है और इसमें किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्विवेचन करने का अधिकार भी सम्मिलित है।]

¹²⁹[48-क. निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध - (1) इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी -

(क) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अधीन निष्क्रान्त सम्पत्ति के कस्टोडियन (जिन्हें यहाँ आगे चलकर इस धारा में कस्टोडियन कहा गया है) में निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में निहित किसी भूमि के आश्रय के सम्बन्ध में उसके निर्णय पर इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी न तो आक्षेप करेगा और न उसे परिवर्तित अथवा व्यतिक्रान्त करेगा; और

(ख) इस अधिनियम में किसी बात का यह अर्थ न होगा, जिसमें कस्टोडियन किसी भूमि के आगम के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही को, जो उसके समक्ष इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के प्रचलित होने के दिनांक पर, जिसके अधीन भूमि के आगम से सम्बद्ध कार्यवाहियाँ रुकनी चाहिए, विचाराधीन हो, रोक सके या जिससे चकबन्दी अधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी या अधिकारी को ऐसे अधिकार प्राप्त हों, जिसके अनुसार उक्त दिनांक पर कस्टोडियन के समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आगम के प्रश्न को अवधारण के लिए अभिदिष्ट करें।

(2) जहाँ चकबन्दी क्रियाओं के फलस्वरूप किसी गांव में -

(क) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अधीन निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में कस्टोडियन में निहित भूमियाँ उन जोतों में सम्मिलित कर दी जायें जो कस्टोडियन में निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में निहित न हों, तो ऐसी भूमि चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक पर और उक्त दिनांक से कस्टोडियन में इस प्रकार निहित न रहेंगी और तत्पश्चात् उक्त अधिनियम के उपबन्ध उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त न रहेंगे; और

(ख) ऐसी भूमियों के बदले में उसी प्रकार की भूमियाँ इन जोतों में सम्मिलित कर दी जायेंगी जो कस्टोडियन में निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में निहित हों और ऐसी भूमियाँ चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक पर और उक्त दिनांक से उपर्युक्त अधिनियम के तात्पर्य के अन्तर्गत प्रख्यापित निष्क्रान्त सम्पत्ति समझी जायेंगी और कस्टोडियन में निहित हो जायेंगी और तत्पश्चात् उक्त अधिनियम के उपबन्ध यथा-सम्भव उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त होंगे]।

¹³⁰[48 - ख. कब्जे का विनियम - (1) जब खातेदारों के बीच में जिनके अन्तर्गत मण्डल की भूमि प्रबन्धक समिति भी है धारा 48 ¹³¹[***] के अधीन पारित आज्ञाओं के परिणामस्वरूप कब्जे का परिवर्तन आवश्यक हो जाए, तो ऐसे आदेशों के अनुसार उनके द्वारा आपस में कब्जे का विनिमय विधिपूर्ण होगा।

(2) जहाँ पारस्परिक समझौते द्वारा कब्जे का परिवर्तन न हो सके, वहाँ सहायक चकबन्दी अधिकारी ऐसे खातेदारों तथा भूमि प्रबन्धक समिति को धारा 28 के उपबन्धों के अनुसार कब्जा दिलायेगा।]

¹³²[49. सिविल न्यायालयों के अधिकेत्र पर रोक - तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे भूमि के सम्बन्ध में, जो उस क्षेत्र में पड़ती हो, जिसके लिए ¹³³[धारा 4की उपधारा (2) के अधीन] ¹³⁴[विज्ञप्ति] जारी कर दी गयी हो, खातेदारों के अधिकारों का प्रख्यापन तथा निर्णय या ऐसे किसी अन्य अधिकार का निर्णय जो चकबन्दी-कार्यवाहियों से उत्पन्न हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी या की जानी चाहिए थी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा और कोई सिविल या राजस्व

न्यायालय उक्त भूमि में अधिकारों के सम्बन्ध में या किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में , जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी या की जानी चाहिए थी , किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा] :

¹³⁵[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिस पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी ग्राम सभा को कब्जा दिया गया हो, या दिया गया समझा जाए, उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ० प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1951) की धारा 122-ख के अधीन कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने से सहायक कलेक्टर को बाधित नहीं करेगी]।

¹³⁶[49- क. इस अधिनियम और तद्विनिर्णय बनी नियमावली के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के लिए सुरक्षा - कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए प्रस्तुत न की जा सकेगी, जो उक्त अधिनियम या तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन उसने सद्भावना से किया हो या उसको करना अभिप्रेत हो]।

¹³⁷[50. न्यायालय शुल्क से मुक्ति - इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र पर या, वकालतनामे के अतिरिक्त, किसी लेख्य पर, जो दाखिल किया जाए, कोई न्यायालय-शुल्क देय न होगा]।

¹³⁸[51. संक्रमण को निष्पादित करने के लिए कोई कारण आवश्यक नहीं है - तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अन्तिम चक्रबन्दी योजना को कार्यान्वित करने में जोतों का जो संक्रमण होगा, उसे पूरा करने के लिए न तो किसी लिखित करण की आवश्यकता होगी और न ऐसा करण निष्पादित किये जाने पर उसकी रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी]।

¹³⁹[52. चक्रबन्दी क्रियाओं की समाप्ति - (1) ¹⁴⁰[धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन] नये नक्शे और अभिलेख तैयार होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य सरकार, शासकीय गजट में इस आशय की विज्ञप्ति जारी करेगी कि कटक में ¹⁴¹[चक्रबन्दी क्रियाएं समाप्त कर दी गयी हैं और तदुपरान्त उक्त कटक के गाँव चक्रबन्दी क्रियाओं] के अधीन नहीं रहेंगे]:

¹⁴²[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन विज्ञप्ति जारी किये जाने से, इस अधिनियम के अधीन क्रियाओं के व्यय को निश्चित करने, बांटने और वसूल करने के राज्य सरकार के अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा]।

¹⁴³[(1-क) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति किसी ऐसे दैनिक समाचार- पत्र में भी जिसका क्षेत्र में परिचलन हो और ऐसी अन्य रीति से, जैसी उचित समझी जाए, प्रकाशित की जायेगी]।

¹⁴⁴[(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भारत का संविधान के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत की गयी लेख याचिकाओं के मामलों में या उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति जारी किये जाने के दिनांक को इस अधिनियम के अधीन विचाराधीन मामलों या कार्यवाहियों में सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश ऐसे प्राधिकारियों द्वारा, जो नियत किये जायें, कार्यान्वित की जायेंगी और इस प्रयोजन के लिए चक्रबन्दी क्रियाओं के विषय में यह समझा जायेगा कि वे समाप्त नहीं हुई हैं]।

¹⁴⁵[(3) जहाँ धारा 23 के अधीन चक्रबन्दी योजना के अन्तिम हो जाने के पूर्व किसी भूमि के प्रदेशन या पट्टा का निरसन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ० प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1951) की धारा 198 की उपधारा (4) के अधीन आदेश द्वारा किया जाता है और वह आदेश अंतिम हो जाता है। वहाँ इस अधिनियम के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे आदेश को निम्नलिखित रीति से ऐसे प्राधिकारियों द्वारा, जो नियत किये जायें, कार्यान्वित किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए चक्रबन्दी क्रिया को समाप्त नहीं समझा जायेगा, अर्थात् -

(क) ऐसे प्रदेशन या पट्टे की विषयगत भूमि के मूल्यांकन को नियत रीति से पहले सुनिश्चित किया जायेगा ;

(ख) चक्रबन्दी कार्यवाही से सम्बद्ध खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के कुल मूल्य में से खण्ड (क) में अभिदिष्ट मूल्यांकन को कम कर दिया जायेगा ;

(ग) चकबन्दी कार्यवाही के दौरान खातेदार उक्त भूमि के मूल्यांकन के बराबर भूमि का हकदार होगा]।

¹⁴⁶[52-क. चकमार्गों तथा चक गूलों के लिए विशेष व्यवस्था - (1) किसी ऐसे कटक की दशा में जिसके सम्बन्ध में उ० प्र० जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो, धारा 52 में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कलेक्टर, यदि उसकी यह राय हो कि कटक में चकमार्गों या चक गूलों की कोई व्यवस्था नहीं है या अपर्याप्त व्यवस्था है, तो उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही कर सकता है और यदि उक्त प्रारम्भ होने के दिनांक के छह महीने के भीतर कुल खातेदारों में से कम-से-कम दस प्रतिशत द्वारा इस आशय का अभ्यावेदन दिया जाए।

(2) कलेक्टर इस धारा के अधीन कार्यवाही के प्रस्ताव की और उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अभ्यावेदन की भी, यदि कोई हो, सूचना कटक में डुग्गी पिटवाकर और ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, दिलवायेगा और किसी चकबन्दी अधिकारी को उस क्षेत्र का निरीक्षण करने तथा खातेदारों की या उनमें से ऐसे व्यक्तियों को, जो अभ्यावेदन में सम्मिलित न हों, इच्छाओं को सुनिश्चित करने के निमित्त युक्तियुक्त कदम उठाने और मामले में ऐसी अन्य जाँच करने, जिसे वह उचित समझे, का निर्देश देगा।

(3) ऐसा चकबन्दी अधिकारी कटक में चकमार्गों या चक गूलों की व्यवस्था करने या, जैसी भी दशा हो, और अधिक पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए योजना बनाने या न बनाने के औचित्य के सम्बन्ध में कलेक्टर को एक रिपोर्ट देगा और कलेक्टर उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, योजना का एक प्ररूप तैयार करवायेगा।

(4) तदुपरान्त सहायक चकबन्दी अधिकारी कटक के उतने खातेदारों को, जितना वह साध्य समझे, इच्छा को अनौपचारिक रूप से सुनिश्चित करने के पश्चात् नियत प्रपत्र में योजना का एक प्ररूप तैयार करेगा जिसमें चकमार्गों या चक गूलों की व्यवस्था अथवा अतिरिक्त व्यवस्था, जैसी आवश्यकता हो, करने का प्रस्ताव करेगा। योजना का प्ररूप तैयार करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् -

(क) जहां तक साध्य हो, चकमार्गों और चक गूलों की व्यवस्था प्रथमतः ग्राम सभा में निहित भूमि का उपयोग करके और द्वितीयतः उन खातेदारों द्वारा धृत भूमि में से, जिनके चक प्रस्तावित चकमार्गों या चक गूलों से सम्बन्धित हों, और अन्ततः किसी अन्य भूमि से की जानी चाहिए;

(ख) चकों का पुनर्व्यवस्थापन केवल उस सीमा तक, जहाँ तक चकमार्गों तथा चक गूलों की व्यवस्था करने के लिए वास्तविक रूप में आवश्यक हो, और पहले से ही पुष्टीकृत चकबन्दी योजना में कम-से-कम व्यतिक्रम किये बिना, किया जाना चाहिए।

(5) उपधारा (4) के अधीन तैयार की गयी योजना का प्ररूप कटक में नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा।

(6) योजना के प्ररूप से प्रभावित कोई व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी के पास लिखित रूप में आपत्ति दाखिल कर सकता है।

(7) (क) चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के समक्ष अपील कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) खण्ड (क) के अधीन आपत्तियों पर निर्णय देने के पूर्व चकबन्दी अधिकारी और खण्ड (ख) के अधीन अपील पर निर्णय देने के पूर्व, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् विवादास्पद स्थल का स्थानीय निरीक्षण कर सकता है।

(घ) खण्ड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी और खण्ड (ख) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के लिए उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उपधारा (4) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार योजना के प्ररूप में परिष्कार

करना और बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के लिए उसे चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे निर्देशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, प्रतिप्रेषित करना, वैध होगा।

(8) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी -

(क) यदि उपधारा (6) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाए; या

(ख) यदि ऐसी आपत्तियाँ प्रस्तुत की जायें तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तन के पश्चात् जो उपधारा (7) के अधीन आपत्तियों तथा अपीलों पर दिए गए आदेशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों, योजना की पुष्टि कर देगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन पुष्टीकृत योजना कटक में नियत रीति से प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी और तदुपरान्त धारा 23 के अधीन अन्तिम रूप से बनी चकबन्दी योजना और दिए गये प्रदेशन आदेश योजना में इंगित सीमा तक संशोधित हो जायेंगे और तदनुसार बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा नया प्रदेशन आदेश जारी किया जाएगा।

(10) अध्याय 4 के उपबन्ध उक्त योजना के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे अन्तिम चकबन्दी योजना के सम्बन्ध में लागू होते हैं और अध्याय 4 को लागू किये जाने के प्रयोजनों के लिए, इस धारा के अधीन व्यवस्थित चकमागों और चक गूलों के लिए दी गयी भूमि धारा 8-क के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दी गयी भूमि समझी जायेगी।

¹⁴⁷[53. खातेदारों के मध्य चकों का पारस्परिक विनिमय - बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के लिए यह वैध होगा कि वह चकबन्दी क्रियाओं के किसी स्तर पर, किन्तु धारा 27 के अधीन अन्तिम अभिलेख तैयार हो जाने के पूर्व, खातेदारों के मध्य ¹⁴⁸[समझौते द्वारा] चकों या उनके किसी भाग के पारस्परिक विनिमय की अनुमति दे, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि उक्त विनिमय से चकों के आकार में सुधार हो जायेगा या उनकी संख्या में कमी हो जायेगी और उन लोगों में सामान्यतया अपेक्षाकृत अधिक संतोष उत्पन्न होगा]।

¹⁴⁹[53-क. खातेदारों द्वारा तैयार की गयी चकबन्दी योजना की मान्यता - (1) उपसंचालक चकबन्दी किसी गाँव के सम्बन्ध में, चाहे वह चकबन्दी क्षेत्र के भीतर हो या बाहर, गाँव के खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गयी किसी ¹⁵⁰[चकबन्दी योजना] को मान्यता दे सकता है, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि उक्त योजना इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी के सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल है तथा उससे सम्बद्ध सभी खातेदारों का समर्थन प्राप्त है और वह सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रति अन्यथा न्यायपूर्ण है।

(2) उपधारा (1) के अधीन मान्यता- प्राप्त ¹⁵¹[चकबन्दी योजना] इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार तथा पुष्टि की गयी समझी जायेगी और उसके अधीन लागू समझी जाएगी]।

¹⁵²[53-ख. परिसीमा - परिसीमा अधिनियम, 1963 (अधिनियम सं0 36 वर्ष 1963) की धारा 5 के उपबन्ध इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों, अपीलों, पुनरीक्षणों तथा अन्य कार्यवाहियों पर लागू होंगे]।

54. नियम बनाने का अधिकार - (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए ¹⁵³[गजट में विज्ञप्ति द्वारा] नियम बना सकती है।

¹⁵⁴[(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं -

(क) ¹⁵⁵[धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन] ¹⁵⁶[विज्ञप्ति]का प्रारूप ;

(ख) धारा 3 के खण्ड (2-कक) के अधीन चकबन्दी समिति का संगठन, चकबन्दी समिति के सदस्यों के कार्यालय का अवधारण तथा उसमें रिक्ति होने पर की जाने वाली कार्यवाही;

(ग) धारा 5 के अधीन स्थगित वादों और कार्यवाहियों के निस्तारण की प्रक्रिया;

¹⁵⁷[(गग) चकबन्दी क्षेत्र में जोत के संक्रमण के लिए धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट अनुज्ञा देने के लिए बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें];

(घ) धारा 7 से 11 तक के तथा धारा 12 के अधीन नक्शों और अभिलेखों के पुनरीक्षण जिसके अन्तर्गत अधिकारों का प्रख्यापन, संयुक्त जोतों का विभाजन, गाटों का मूल्यांकन, कुंओं, पेड़ों तथा अन्य समुच्चतियों के प्रतिकर का अवधारण तथा प्रभाजन भी है, से सम्बद्ध प्रक्रिया और सिद्धान्तों के विवरण की तैयारी तथा प्रकाशन;

(ङ.) नए खातों पर मालगुजारी का अवधारण और धारा 12-क के अधीन उसका पुरानी जोतों के भागों पर वितरण;

¹⁵⁸[(च) धारा 12-घ के अधीन जोतों के संयोजन की प्रक्रिया;

(छ) धारा 19-क, 21 और 23 के अधीन चकबन्दी योजना तैयार करने, उसे प्रकाशित करने और उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया और रीति;

(ज) धारा 23 के अधीन प्रदेशन आज्ञायें जारी करने की प्रक्रिया और रीति];

(झ) एतदर्थ निर्दिष्ट प्रयोजनों पर चकबन्दी समिति के विचार प्राप्त करने की प्रक्रिया और रीति;

(ञ) उस सार्वजनिक प्रयोजन का अवधारण, जिसके निमित्त क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जायें और रीति जिसमें वह किया जाए;

(ट) सार्वजनिक भूमि से उस भूमि में जो सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट की गई हो, अधिकारों के संक्रमण से सम्बद्ध विषय;

(ठ) धारा 24 और 28 के अधीन कब्जा लेने की प्रक्रिया;

(ड) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को दिये जाने वाले या उससे वसूल किये जाने वाले प्रतिकर के अवधारण की प्रक्रिया और रीति;

(ढ) चकबन्दी व्यय के अन्तर्गत वह अनुपात भी है, जिसके अनुसार उसका वितरण किया जा सकता है, वितरण करने के सम्बन्ध में विचार की जाने वाली परिस्थितियाँ और विषय ;

(ण) इस अधिनियम के अधीन नोटिस या किसी लेख्य के तामील किये जाने की रीति से सम्बद्ध विषय;

(त) इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों में, जिनके अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र और अपीलें भी हैं, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(थ) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी के कर्तव्य और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(द) उन मामलों में, जिनमें यहाँ पर तत्सम्बन्धी विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना -पत्रों और अपीलों के प्रस्तुत किये जाने की कालावधि;

(ध) किसी अधिकारी को निश्चित काल-सीमाओं के बढ़ाने का अधिकार देते हुए या न देते हुए काल सम्बन्धी सीमाओं का विनिश्चय, जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के निमित्त कार्य अवश्य किये जाने चाहिए;

(न) किसी प्राधिकारी या अधिकारी के पास से दूसरे को कार्यवाहियों का संक्रमण; और

(प) अन्य कोई विषय, जो नियत हो या नियत किया जाए]।

¹⁵⁹ [(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो सत्र या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम-से- कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई अन्य दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने

के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा]।

1. बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम, 1968 द्वारा या के अधीन बिहार से उत्तर प्रदेश को अन्तरित राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में धारा 1 की उपधारा (3) का लोप उ० प्र० विधि (बिहार से अन्तरित राज्य-क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1976 (अधिनियम सं० 52 वर्ष 1976) द्वारा धारा 3 और अनुसूची द्वारा दिनांक 15-10-1976 से प्रभावी) द्वारा किया गया है।
2. धारा 1 दिनांक 8-3-1954 से तुरन्त प्रभावी हुई और धारा 2 से 54 दिनांक 24-7-1954 से प्रभावी हुई, देखें; विज्ञप्ति सं० 2564 (4) 1-क- 813-54, उ० प्र० गजट, भाग 1-क, दिनांक 24-7-1954 को प्रकाशित ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया ।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया ।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया ।
8. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 3(क) द्वारा अन्तःस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी) ।
9. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा उपधारा (2-कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित ।
10. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया ।
11. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित ।
12. उ० प्र० जोत चक्रवन्दी (संशोधन) अधिनियम 8 वर्ष 1963 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया ।
13. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित ।
14. उ० प्र० जोत चक्रवन्दी (संशोधन) अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया ।
15. उ० प्र० जोत चक्रवन्दी (संशोधन) अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया ।
16. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित ।
17. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 द्वारा जोड़ा गया ।
18. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया ।
19. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया ।
20. उ० प्र० जोत चक्रवन्दी (संशोधन) अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
21. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित ।
22. उ० प्र० जोत चक्रवन्दी (संशोधन) अधिनियम 8 वर्ष 1963 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया ।
23. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित ।
24. उ० प्र० भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 12 वर्ष 1965 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 18-6-1965 से प्रभावी)।
25. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 द्वारा अन्तःस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।
26. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया ।
27. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया ।
28. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया ।

29. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया ।
30. उ० प्र० भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 12 वर्ष 1965 द्वारा बढ़ाया गया (दिनांक 18-6-1965 से प्रभावी)।
31. उ० प्र० (संशोधन) अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
32. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)
33. उ० प्र० अधिनियम सं० 35 वर्ष 1976 द्वारा अन्तःस्थापित (15-6-1976 से प्रभावी) ।
34. उ० प्र० भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 24 वर्ष 1986 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित (28-11-1986 से प्रभावी) ।
35. उ० प्र० अधिनियम सं० 21 वर्ष 1966 द्वारा प्रतिस्थापित (29-8-1966 से प्रभावी) ।
36. उ० प्र० भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 12 वर्ष 1965 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित (18-8-1965 से प्रभावी) ।
37. उ० प्र० भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 12 वर्ष 1965 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित (18-8-1965 से प्रभावी) ।
38. उ० प्र० भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 12 वर्ष 1965 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित (18-8-1965 से प्रभावी) ।
39. उ० प्र० अधिनियम सं० 21 वर्ष 1966 द्वारा जोड़ा गया (दिनांक 29-8-1966 से प्रभावी)।
40. उ० प्र० अधिनियम सं० 35 वर्ष 1976 द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव के लिए प्रतिस्थापित समझा जायेगा।
41. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 4 द्वारा शब्द “ घोषणा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
42. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
43. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 प्रतिस्थापित।
44. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
45. उ० प्र० अधिनियम सं० 3 वर्ष 2002 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित (21-6-2002 से प्रभावी)।
46. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 प्रतिस्थापित।
47. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 5 द्वारा शब्द “चक्रवन्दी योजना” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
48. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
49. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 6 द्वारा अन्तःस्थापित(19-2-1991 से प्रभावी) ।
50. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 7 द्वारा जोड़ा गया ।
51. उ० प्र० अधिनियम सं० 6 वर्ष 1978 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित(21-1-1978 से प्रभावी) ।
52. उ० प्र० अधिनियम सं० 6 वर्ष 1978 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित(21-1-1978 से प्रभावी) ।
53. उ० प्र० (संशोधन) अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
54. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 7 द्वारा अन्तःस्थापित(19-2-1991 से प्रभावी) ।
55. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 9 द्वारा जोड़ा गया ।
56. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 8 द्वारा अन्तःस्थापित(19-2-1991 से प्रभावी) ।
57. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 9 द्वारा जोड़ा गया ।
58. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 9 द्वारा जोड़ा गया ।
59. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
60. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
61. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
62. उ० प्र० अधिनियम सं० 4 वर्ष 1969 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक1-9-1969 से प्रभावी) ।

63. उ० प्र० अधिनियम सं० 34 वर्ष 1974 द्वारा अन्तःस्थापित।
64. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
65. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 द्वारा प्रतिस्थापित।
66. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 15 द्वारा शब्द तथा अंक "धाराएँ 7 से 11 तथा 12 " विलुप्त।
67. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
68. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 द्वारा प्रतिस्थापित।
69. उ० प्र० अधिनियम सं० 8, सन् 1963 की धारा 20 द्वारा अन्तःस्थापित
70. उ० प्र० अधिनियम सं० 30, सन् 1991 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित(19-2-1991 से प्रभावी)
71. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 द्वारा प्रतिस्थापित।
72. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
73. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 की धारा 22 द्वारा अंक " 21" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
74. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित।
75. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित (8-3-1963 से प्रभावी)।
76. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 वर्ष 1965 की धारा 46 द्वारा अन्तःस्थापित (18-6-1965 से प्रभावी)।
77. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 वर्ष 1965 की धारा 46 द्वारा अंतःस्थापित (18-6-1965 से प्रभावी)।
78. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित।
79. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित।
80. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित।
81. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित।
82. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 वर्ष 1965 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
83. उ० प्र० अधिनियम सं० 34 वर्ष 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
84. उ० प्र० अधिनियम सं० 34 वर्ष 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
85. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 10(क) द्वारा (19-2-1991 से प्रभावी) शब्दों "उस तारीख से छः मास के भीतर जिसको उक्त योजना प्रवृत्त हुई है, किन्तु काश्तकार या भूमि प्रबन्धक समिति, यथास्थिति, आवेदक को आवण्टित चक्र या भूमि के वास्तविक भौतिक कब्जा में हो सकेगा" के लिए प्रतिस्थापित।
86. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 10 (ख) द्वारा अन्तःस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।
87. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 10 (ख) द्वारा अन्तःस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।
88. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 10 (ख) द्वारा अन्तःस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।
89. उ० प्र० अधिनियम सं० 13 वर्ष 1955 द्वारा प्रतिस्थापित।
90. उ० प्र० अधिनियम सं० 24 वर्ष 1956 द्वारा विलुप्त ।
91. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 28 द्वारा जोड़ा गया।
92. उ० प्र० अधिनियम सं० 24 वर्ष 1956 द्वारा जोड़ा गया ।
93. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
94. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 29 द्वारा जोड़ा गया।
95. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित।
96. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 11 (क) (i) द्वारा शब्द " भूमिधर" के स्थान पर प्रतिस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।

97. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 11 (क) (ii) द्वारा शब्द “ सीरदार” के स्थान पर प्रतिस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।
98. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 11 (ख) द्वारा शब्दों “ भूमिधर या सीरदार” के स्थान पर प्रतिस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।
99. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया।
100. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित।
101. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 12 (क) द्वारा अन्तःस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।
102. उ० प्र० अधिनियम सं० 21 वर्ष 1966 द्वारा प्रतिस्थापित।
103. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 12 (ख) द्वारा अन्तःस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।
104. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित ।
105. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित ।
106. उ० प्र० अधिनियम सं० 24 वर्ष 1956 द्वारा प्रतिस्थापित ।
107. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित ।
108. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 द्वारा प्रतिस्थापित ।
109. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित ।
110. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा अन्तःस्थापित ।
111. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा अन्तःस्थापित ।
112. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा अन्तःस्थापित ।
113. उ० प्र० अधिनियम सं० 31 वर्ष 1970 द्वारा अन्तःस्थापित ।
114. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 द्वारा प्रतिस्थापित ।
115. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 द्वारा प्रतिस्थापित ।
116. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया।
117. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
118. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया।
119. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा द्वारा प्रतिस्थापित ।
120. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 13 (क) द्वारा अन्तःस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।
121. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 13 (ख) द्वारा अन्तःस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।
122. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 की धारा 13 (ख) द्वारा शब्दों “ पचास रुपये” के स्थान पर प्रतिस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।
123. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित।
124. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 वर्ष 1982 द्वारा अन्तःस्थापित (10-11-1980 से प्रभावी)।
125. उ० प्र० अधिनियम सं० 4 वर्ष 1969 की धारा 25 द्वारा जोड़ा गया और सदैव के लिए जोड़ा गया समझा जायेगा।
126. वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 एवं 2 के रूप में उ० प्र० भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 20 वर्ष 1982 (दिनांक 10-11-1980 से प्रभावी) द्वारा पुनर्संख्यांकित किया गया ।
127. उ० प्र० अधिनियम सं० 20 वर्ष 1982 द्वारा अन्तःस्थापित।
128. उ० प्र० अधिनियम सं० 3 वर्ष 2002 की धारा 3 (भूतलक्षी प्रभाव से लागू समझा जाना) द्वारा अन्तःस्थापित (10-11-1980 से प्रभावी)।
129. उ० प्र० अधिनियम सं० 26 वर्ष 1954 द्वारा जोड़ा गया।

130. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया ।
131. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 40 द्वारा विलुप्त।
132. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
133. उ० प्र० भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 12 वर्ष 1965 द्वारा प्रतिस्थापित (8-3-1963 से प्रभावी)।
134. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 41 द्वारा शब्द ' प्रख्यापन ' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
135. उ० प्र० भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 20 वर्ष 1982 द्वारा अन्तःस्थापित (10-11-1980 से प्रभावी)।
136. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया ।
137. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
138. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।
139. उ० प्र० अधिनियम सं० 24 वर्ष 1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
140. उ० प्र० भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 12 वर्ष 1965 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित (8-3-1963 से प्रभावी)।
141. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
142. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 द्वारा अन्तःस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।
143. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1991 द्वारा अन्तःस्थापित (19-2-1991 से प्रभावी)।
144. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 43 द्वारा जोड़ा गया।
145. उ० प्र० अधिनियम सं० 35 वर्ष 1976 द्वारा अन्तःस्थापित (15-6-1976 से प्रभावी)।
146. उ० प्र० अधिनियम सं० 31 वर्ष 1970 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 16-9-1970 से प्रभावी)।
147. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया।
148. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 44 द्वारा जोड़ा गया।
149. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया।
150. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित।
151. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित।
152. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा जोड़ा गया।
153. उ० प्र० भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 30 वर्ष 1975 की धारा 47 द्वारा शब्द “ नियम बना सकती” के स्थान पर प्रतिस्थापित (19-8-1975 से प्रभावी)।
154. उ० प्र० अधिनियम सं० 38 वर्ष 1958 द्वारा प्रतिस्थापित।
155. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 46 द्वारा “ प्रख्यापन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
156. उ० प्र० अधिनियम सं० 12 वर्ष 1965 द्वारा प्रतिस्थापित (11-6-1965 से प्रभावी)।
157. उ० प्र० अधिनियम सं० 35 वर्ष 1976 द्वारा अन्तःस्थापित और सदैव के लिए अन्तःस्थापित समझा जायेगा (दिनांक 13-11-1976 से प्रभावी)।
158. उ० प्र० अधिनियम सं० 8 वर्ष 1963 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित।
159. उ० प्र० अधिनियम सं० 30 वर्ष 1975 की धारा 47 द्वारा उपधारा (3) , (4) एवं (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित।